



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

रिट याचिका (सेवा) क्र. 95/2008

याचिकाकर्ता:

कु. पूनम एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

एवं

अन्य संबंधित प्रकरण

आदेश हेतु दिनांक 14.03.2008 को सूचीबद्ध करें ।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश





छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्र. 95/2008

याचिकाकर्तागण

- :
1. कु. पूनम, पिता श्याम लाल, आयु लगभग 19 वर्ष
 2. पूरण, पिता चन्दन साहू, आयु लगभग 35 वर्ष
 3. भिखम लाल पटेल, पिता प्रेम लाल पटेल, आयु लगभग 26 वर्ष
 4. मनीष चंद्राकर, पिता पुरुषोत्तम चंद्राकर, आयु लगभग 25 वर्ष
 5. कु. अनीता पटेल, पिता कार्तिक राम, आयु लगभग 19 वर्ष
 6. दुष्यंत पटेल, पिता श्री रेशम लाल पटेल, आयु लगभग 23 वर्ष

सभी शासकीय सेवक हैं जो जनपद पंचायत, पिथौरा, जिला महासमुंद(छग) में शिक्षाकर्मी वर्ग III के पद पर पदस्थ हैं ।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- :
1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा:सचिव, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर(छग)
 2. संचालक, पंचायत, रायपुर, जिला रायपुर(छग)
 3. कलेक्टर, महासमुंद, जिला महासमुंद(छग)
 4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पिथौरा, जिला महासमुंद(छग)
 5. जिला शिक्षा अधिकारी, महासमुंद(छग)
 6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद, जिला महासमुंद(छग)





उपस्थिति : याचिकाकर्ताओं के लिए अवध त्रिपाठी अधिवक्ता सहित श्री सुनील साहू, अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 4 एवं 6 के लिए श्री पंकज श्रीवास्तव,
अधिवक्ता
राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 82/2008

याचिकाकर्तागण :

1. गौतम मंडल, आयु लगभग 31 वर्ष, पिता श्री उपेन्द्र नाथ मंडल, शासकीय प्राथमिक विद्यालय पीवी 128, ग्राम जयश्रीनगर, पखांजूर, जनपद पंचायत कोयलीबेडा में शिक्षाकर्मि वर्ग III के पद पर पदस्थ, निवासी-क्वार्टर संख्या पीडब्ल्यूडी H 32, पखांजूर(कोयलीबेडा)
2. अशोक स्वर्णकार, आयु लगभग 24 वर्ष, पिता सुपद स्वर्णकार, शासकीय प्राथमिक विद्यालय क्रिगलमशापि(आरजीएसएम), पखांजूर, जनपद पंचायत कोयलीबेडा में शिक्षाकर्मि वर्ग III के पद पर पदस्थ, निवासी-ग्राम पीवी 74 पखांजूर(कोयलीबेडा)
3. कुलेश्वर नेताम, आयु 26 वर्ष, पिता धर्मराज नेताम, शासकीय प्राथमिक विद्यालय ग्राम महाला, पखांजूर, जनपद पंचायत कोयलीबेडा में शिक्षाकर्मि वर्ग III के पद पर पदस्थ, निवासी-ग्राम पंचायत पखांजूर(कोयलीबेडा)
4. कु. झुनू बनर्जी, आयु लगभग 25 वर्ष, पिता श्री सचिन





बनर्जी, शासकीय प्राथमिक विद्यालय पित्तेभोदिया,
पखांजूर, जनपद पंचायत कोयलीबेडा में शिक्षाकर्मि वर्ग
III के पद पर पदस्थ, निवासी-मेन रोड,
पखांजूर(कोयलीबेडा), जिला उत्तर बस्तर, कांकेर(छग)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा:सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर(छग)
2. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर(छग)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेडा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर(छग)
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर बस्तर कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर(छग)
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, कोयलीबेडा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर(छग)

उपस्थिति

:

याचिकाकर्ताओं के लिए श्री जे.एन. नंदे, अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 3 एवं 4 के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर,
अधिवक्ता
राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 28/2008

याचिकाकर्तागण

:

1. भगवत प्रसाद कश्यप, पिता श्री सहदेव प्रसाद कश्यप,
आयु लगभग 23 वर्ष, व्यवसाय-शिक्षाकर्मि वर्ग III,
संकुल भिखापाली, विद्यालय रामपुर2, विकासखण्ड





पिथौरा, जिला महासमुंद(छग)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- :
1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा:सचिव, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर(छग)
 2. संचालक, पंचायत, रायपुर, जिला रायपुर(छग)
 3. कलेक्टर, महासमुंद, जिला महासमुंद(छग)
 4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पिथौरा, जिला महासमुंद(छग)
 5. जिला शिक्षा अधिकारी, महासमुंद, जिला महासमुंद(छग)
 6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुंद, जिला महासमुंद(छग)

उपस्थिति

- :
- याचिकाकर्ताओं के लिए श्री अवध त्रिपाठी सहित श्री सुनील साहू, अधिवक्तागण
- उत्तरवादी संख्या 4 एवं 6 के लिए श्री पंकज श्रीवास्तव, अधिवक्ता
- राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 09/2008

याचिकाकर्तागण

1. अनिल कुमार साहू, पिता पुनि राम साहू, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम सोधा, पोस्ट रुशे, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम(छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

**उत्तरवादीगण**

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा:सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर(छग)
2. कलेक्टर, उत्तर बस्तर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर(छग)
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, रायपुर(छग)
4. संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, रायपुर, संचालनालय कार्यालय, रायपुर(छग)
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर(छग)
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेडा, उत्तर बस्तर कांकेर, जिला उत्तर बस्तर (छत्तीसगढ़)
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)
8. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेडा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर(छत्तीसगढ़)

उपस्थिति

- : याचिकाकर्ता के लिए श्री सी.आर. साहू, अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 5 एवं 6 के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर,
अधिवक्ता
राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 7742/2007**याचिकाकर्तागण**

- : 1. जयदेव दास, पिता नितार्ई दास, आयु लगभग 28 वर्ष, ग्राम बंदे, थाना बंदे कॉलोनी, जिला कांकेर(छग), वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय पीवी 102-विकासखंड



कोयलीबेडा, जिला कांकेर(छग) में शिक्षाकर्मि वर्ग III
के पद पर पदस्थ एवं कार्यरत

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा:सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डीकेएस भवन, मंत्रालय, रायपुर(छग)
2. कलेक्टर, जिला कांकेर(छग)
3. जनपद पंचायत कोयलीबेडा, द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेडा, जिला कांकेर(छग)
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेडा, जिला कांकेर(छग)

उपस्थिति

:

याचिकाकर्ता के लिए श्री श्रवण अग्रवाल, अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 3 एवं 4 के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर,
अधिवक्ता
राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 7741/2007

याचिकाकर्तागण

:

1. कु. उर्मिला नरेटी, पिता श्री पंकराम नरेटी, आयु लगभग 34 वर्ष, शिक्षा कर्मि वर्ग II, माध्यमिक शाला सुलंगी जनपद पंचायत कोयलीबेडा, जिला कांकेर(छग)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा:सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर, जिला





रायपुर(छग)

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर(छग)
3. कलेक्टर, उत्तर बस्तर कांकेर(छग)
4. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, रायपुर(छग)

उपस्थिति : याचिकाकर्ता के लिए श्री श्रवण अग्रवाल, अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 2 के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर,, अधिवक्ता
राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 7584/2007

1. चिमन लाल कोरेटी, आयु लगभग 21 वर्ष, पिता प्रभुराम कोरेटी, निवासी कनेचोर, बजनपुरी
2. श्रीमती पुष्पा साहू, आयु लगभग 26 वर्ष, पति पुरुषोत्तम साहू, आवासपारा, पोस्ट खंजोरे, जिला कांकेर

विरुद्ध

- उत्तरवादीगण :
1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा:सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर(छग)
 2. कलेक्टर, कांकेर
 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेडा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर(छग)
 4. जिला पंचायत, द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर(छग)





उपस्थिति : याचिकाकर्ता के लिए श्री पराग कोटेचा, अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 3 एवं 4 के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर,
अधिवक्ता
राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 7561/2008

- याचिकाकर्तागण** :
1. दौलत सिंह ठाकुर, पिता गजधर सिंह ठाकुर, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी-सुभाष पारा, भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर(छग)
 2. कु. तृप्ति गजभिये, पिता आर.के. गजभिये, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी साईनगर, कन्हारगांव, भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर(छग)
 3. खोमन लाल, पिता लक्ष्मण सिंह, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम संबलपुर, भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर(छग)
 4. कु. शुभद्रा, पिता एम.आर. पद्माकर, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी संतोषी पारा, भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर(छग)
 5. कु. जानकी मरकाम, पिता आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम बडगांव, भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर(छग)
 6. पंछुराम नेताम, पिता धुका, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम छिन्दपाल, बडगांव पंखाजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर(छग)
 7. कु. देवश्री चुरेन्द्र, पिता गिरवर, आयु लगभग 23 वर्ष,





निवासी ग्राम छिंदपाल बडगांव पंखाजूर, जिला उत्तर
बस्तर, कांकेर(छग)

8. रोहित कुमार सिन्हा, पिता श्री हरकराम, आयु लगभग
22 वर्ष, निवासी ग्राम केनवती, भानुप्रतापपुर, जिला
उत्तर बस्तर कांकेर(छग)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा:सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण
विकास, मंत्रालय, डीकेएस भवन, रायपुर(छग)
2. आयुक्त, जनजातीय कल्याण, मंत्रालय, रायपुर
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
कोयलीबेडा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर(छग)
4. कलेक्टर, कांकेर(छग)
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर,
जिला उत्तर बस्तर(छग)

उपस्थिति

- : याचिकाकर्ता के लिए श्री अशोक सोनी एवं श्री यू.के.एस.
चंदेल, अधिवक्तागण
उत्तरवादी संख्या 3 एवं 5 के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर,
अधिवक्ता
राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 7441/2007

याचिकाकर्ता

- : 1. मोती राम चिगार, पिता स्व. चतिर सिंह चिगार, आयु
लगभग 34 वर्ष, निवासी ग्राम नगर कोहारा, पोस्ट





चिचोला, थाना चिचोला, जिला राजनांदगांव(छग)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- :
1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा:सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर, जिला रायपुर(छग)
 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर(छग)
 3. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर(छग)

उपस्थिति

- :
- याचिकाकर्ता के लिए श्रवण अग्रवाल, अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 2 के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर, अधिवक्ता
राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 7438/2007

याचिकाकर्तागण

- :
1. जौशिक सामल, पिता लव सामल, आयु लगभग 31 वर्ष
 2. रमेश कुमार पटेल, पिता गंगाधर पटेल, आयु लगभग 28 वर्ष
 3. उमेश कुमार साहू, पिता राज किशोर साहू, आयु लगभग 25 वर्ष
 4. निर्मल कुमार जतवार, पिता टेकराम, आयु लगभग 22 वर्ष
 5. सुब हस कांत सहाय, पिता बहरता राम, आयु लगभग 23 वर्ष
 6. वर्षिक राम प्रधान, पिता लोकेश्वर, आयु लगभग 32





वर्ष

7. तुलाराम राणा, पिता परमानंद, आयु लगभग 25 वर्ष
8. श्रीमती दीपांजलि प्रधान, पति रमेश प्रधान, आयु लगभग 23 वर्ष
9. कु. कुलेश दीवान, पिता दुकालू सिंह, आयु लगभग 20 वर्ष
10. कु. मंजूषा दास, पिता दिलीप दास, आयु लगभग 20 वर्ष
11. रुक्का पटेल, पिता खेमा प्रसाद, आयु लगभग 20 वर्ष
12. कु. मलेश्वरी ध्रुव, पिता गंगाराम, आयु लगभग 20 वर्ष
13. कु. जय लक्ष्मी जगत, पिता परमानंद, आयु लगभग 19 वर्ष
14. चन्द्रिका सोनवानी, पिता तुलाराम, आयु लगभग 21 वर्ष
15. दुकालू नायक, पिता चंद्रभानु, आयु लगभग 21 वर्ष
16. महेश नायक, पिता राम रतन, आयु लगभग 22 वर्ष
17. मोहर सिंह मरकाम, पिता रामेश्वर, आयु लगभग 25 वर्ष
18. नरेन्द्र पिता विष्णु राम, आयु लगभग 19 वर्ष
19. गंगाराम सिदार, पिता बीर सिंह, आयु लगभग 23 वर्ष
20. नन्द कुमार साव, पिता राजेंद्र कुमार, आयु लगभग 19 वर्ष
21. बलराम निषाद, पिता शंकर निषाद, आयु लगभग 29 वर्ष
22. कृष्णा कुमार भोई, पिता संपत लाल, आयु लगभग 20 वर्ष





वर्ष

23. मंशाराम भरद्वाज, पिता भजन राम, आयु लगभग 27

वर्ष

24. चित्रसेन भोई, पिता अमर सिंह, आयु लगभग 25 वर्ष

25. वीरेन्द्र चौधरी, पिता हरी शंकर, आयु लगभग 22 वर्ष

26. नेतराम ध्रुव, पिता सुमेर सिंह, आयु लगभग 19 वर्ष

27. चैतराम पारधी, पिता दशरू राम, आयु लगभग 27 वर्ष

28. रोहित कुमार ध्रुव, पिता परउ राम, आयु लगभग 20

वर्ष

29. भागवत प्रसाद पटेल पिता राम गोपाल पटेल, आयु

लगभग 19 वर्ष।

30. सीम नीरालाल पिता गीता राम, आयु लगभग 20 वर्ष।

31. बसंत चौहान पिता बंशी धर चौहान, आयु लगभग 29

वर्ष।

32. इंदल कुमार पटेल पिता जगदीश पटेल, आयु लगभग

26 वर्ष।

33. रूपधर निषाद पिता बनमाली निषाद, आयु लगभग 28

वर्ष।

34. ऋषि कुमार दीवान पिता बालक राम, आयु लगभग 20

वर्ष।

35. कु. फुलेंद्री पटेल पिता नरोत्तम पटेल, आयु लगभग 20

वर्ष।

36. नरेश कुमार साहू, पिता हरिहर साहू, आयु लगभग 19

वर्ष।

37. राजेश कुमार नायक पिता टीकम नायक, आयु लगभग





26 वर्ष।

38.कु. उषा पटेल पिता के.पी. पटेल, आयु लगभग 20 वर्ष।

39.कु. कमलाया साहू पिता बंशी लाल साहू, आयु लगभग 20 वर्ष।

40.चुमक लाल दीवान पिता अंजोर सिंह, आयु लगभग 30 वर्ष।

41.रूपकांत ठाकुर पिता अनिरुद्ध ठाकुर, आयु लगभग 24 वर्ष।

42.कु. हिंगला भोई पिता मनराखन भोई, आयु लगभग 19 वर्ष।

43.वृंदावन भोई पिता लक्ष्मण भोई, आयु लगभग 21 वर्ष।

44.कु. झांसी पटेल पिता स्वर्गीय दुर्योधन पटेल, आयु लगभग 19 वर्ष।

45.गजानंद भोई पिता नारद भोई आयु लगभग 25 वर्ष।

46.कु. ठंडा बाई कर्ष पिता बाबू लाल आयु लगभग 22 वर्ष।

47.अशोक कुमार पटेल पिता तरस लाल आयु लगभग 23 वर्ष।

48.लोचन सिंह सिदार पिता हीरा सिंह आयु लगभग 19 वर्ष।

49.देव कुमार सिदार पिता धाकड़ सिंह आयु लगभग 21 वर्ष।

50.गजानन्द पटेल पिता सत्यनारायण आयु लगभग 22 वर्ष।





51. कु. शघुभा प्रधान पिता ऋषि कुमार आयु लगभग 19 वर्ष।
52. विद्याधर पटेल पिता प्रेमलाल पटेल आयु लगभग 20 वर्ष।
53. भजन लाल जाटवर पिता राम प्रसाद आयु लगभग 29 वर्ष।
54. कु. योगिता साहू पिता बसंत किशोर आयु लगभग 20 वर्ष।
55. कु. चंद्रकला साहू पिता रामलाल साहू आयु लगभग 19 वर्ष।
56. कुबेर कुमार देवता पिता श्याम सुन्दर देवता, आयु लगभग 37 वर्ष।
57. किशन चंद बघेल पिता राम चंद बघेल आयु लगभग 42 वर्ष।
58. हितेश कुमार भोई, पिता अमृत लाल भोई, आयु लगभग 19 वर्ष
59. लोकनाथ साव पिता आनंद राम, आयु लगभग 26 वर्ष।
60. कु. निर्मल रात्रे पिता अनुप राम, आयु लगभग 19 वर्ष।
61. पूरन विशाल पिता मोहित विशाल, आयु लगभग 19 वर्ष।
62. रोहित पटेल पिता कामदेव पटेल, आयु लगभग 30 वर्ष।
63. वेद प्रसाद पिता गजेन्द्र कुमार आयु लगभग 21 वर्ष।
64. कु. निशा टंडन पिता तिथि राम आयु लगभग 25 वर्ष।
65. श्रीमती सुमन पति तरुवर लाल आयु लगभग 25 वर्ष।





सभी शासकीय सेवक हैं जो जनपद पंचायत, पिथौरा, जिला महासमुंद(छग) में शिक्षाकर्मि वर्ग III के पद पर पदस्थ हैं ।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा:सचिव, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर(छग)
2. संचालक, पंचायत, रायपुर, जिला रायपुर(छग)
3. कलेक्टर, महासमुंद, जिला महासमुंद(छग)
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पिथौरा, जिला महासमुंद(छग)
5. जिला शिक्षा अधिकारी, महासमुंद(छग)
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद, जिला महासमुंद(छग)

उपस्थिति

- याचिकाकरण के लिए श्री अवध त्रिपाठी, अधिवक्ता सहित श्री सुनील साहू, अधिवक्ता
- उत्तरवादी संख्या 4 एवं 6 के लिए श्री पंकज श्रीवास्तव, अधिवक्ता
- राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 7329/2007

याचिकाकर्तागण

1. कु. रेखा सिन्हा, पति शंकर राम सिन्हा, आयु लगभग 33 वर्ष, शिक्षा कर्मि वर्ग II, माध्यमिक शाला, करमोती, विकासखंड भानुप्रतापपुर, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर(छग)



2. बृजलाल साहू, पिता श्री धनाराम साहू, आयु लगभग 30 वर्ष, शिक्षाकर्मि वर्ग II, माध्यमिक शाला थेमा, तहसील नारायणपुर, जिला कांकेर (छ. ग.)।
3. अनीता साहू, पति दिलीप कुमार साहू, आयु लगभग 26 वर्ष, शिक्षा कर्मि वर्ग II, मिडिल स्कूल बाबूदेवना, विकास खंड कांकेर, तहसील और जिला कांकेर (छ. ग.)
4. नानक राम साहू, पिता जोहान राम साहू, आयु लगभग 33 वर्ष, शिक्षा कर्मि वर्ग II, शासकीय हाई स्कूल, लेंडारा, विकास खंड नरहरपुर, जिला कांकेर (छ. ग.)।
5. श्रीमती हेमलता भंवर, पति राजकुमार भंवर, आयु लगभग 35 वर्ष, शिक्षा कर्मि वर्ग II, नवीन मिडिल स्कूल, डोंगरगांव, विकासखण्ड, तहसील भानुप्रतापपुर, भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर (छ.ग.)।
6. कु. सुनीता सागर, पिता रामलाल सागर, आयु लगभग 27 वर्ष, शिक्षा कर्मि वर्ग II, नवीन माध्यमिक विद्यालय, डोंगरगांव, विकास खंड भानुप्रतापपुर, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर (छ. ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा:सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, डीकेएस भवन, रायपुर(छग)
2. आयुक्त, जनजातीय कल्याण, मंत्रालय, रायपुर, जिला रायपुर(छग)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर, उत्तर बस्तर, कांकेर(छग)





4. कलेक्टर, कांकेर(छग)

5. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कांकेर(छग)

उपस्थिति : याचिकाकरण के लिए श्री अशोक सोनी एवं अंबुज अग्रवाल,
अधिवक्तागण

उत्तरवादी संख्या 3 के लिए श्री वाई.एस. ठाकुर, अधिवक्ता
राज्य/उत्तरवादी संख्या 1, 2, 4 और 5 के लिए श्री
यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 6663/2007

याचिकाकर्ता :

1. आशीष कुमार सिदार पिता श्री जनक राम सिदार, आयु
लगभग 21 वर्ष, निवासी ग्राम और पोस्ट खरीं छोटे,
तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़(छग)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा:सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण
विकास, डीकेएस भवन, रायपुर(छग)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बरमकेला,
जिला रायगढ़(छग)

उपस्थिति

: याचिकाकर्ता के लिए श्री आर.एस. पटेल, अधिवक्ता
राज्य/उत्तरवादीगण के लिए श्री ए.एस. कछवाहा, उप
महाधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 6503/2007



- याचिकाकर्तागण** :
1. दुर्गा प्रसाद, पिता मंधारी राम, आयु लगभग 20 वर्ष, व्यवसाय-शिक्षाकर्मी वर्ग III, निवासी ग्राम बालगी, तहसील, वाडूफनगर, जिला सरगुजा(छग)
 2. कु. वहीदा रहमान(त्रुटिवश वाहिका रहमान के रूप में अंकित), पिता फजलु रहमान, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी ग्राम नेपालगेट, चर्चा कॉलरी, बैकुंठपुर, जिला कोरिया(छग)

विरुद्ध

- उत्तरवादीगण** :
1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा:सचिव, पंचायत विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर(छग)
 2. कलेक्टर, कोरिया(छग)
 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बैकुंठपुर, जिला कोरिया(छग)
 4. विकासखंड अधिकारी, बैकुंठपुर, जिला कोरिया(छग)

उपस्थिति : याचिकाकर्ता के लिए डी.एन. प्रजापति, अधिवक्ता राज्य/उत्तरवादीगण के लिए श्री ए.एस. कछवाहा, उप महाधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 6383/2007

- याचिकाकर्तागण** :
1. किशोर कुमार नायक, आयु लगभग 27 वर्ष, पिता श्री राजाराम नायक, निवासी ग्राम धुमाभाटा, तहसील सारंगढ, जिला रायगढ(छत्तीसगढ)
 2. शिव प्रसाद बरिहा, पिता श्री सुखरु राम बरिहा, आयु



लगभग 20 वर्ष, निवासी ग्राम जलाकोना, तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़)
दोनों जनपद पंचायत, बरमकेला, विकासखंड जिला रायगढ़(छग) में शिक्षाकर्मी वर्ग III के पद पर कार्यरत हैं।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- :
1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा:सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, डीकेएस भवन, रायपुर(छत्तीसगढ़)
 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बरमकेला, जिला रायगढ़(छग)

उपस्थिति

याचिकाकर्ता के लिए आर.के. केशरवानी, अधिवक्ता राज्य/उत्तरवादीगण के लिए श्री ए.एस. कछवाहा, उप महाधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 5866/2008

याचिकाकर्तागण

- :
1. अजय चौहान, आयु लगभग 20 वर्ष, पिता चतुर्भुज चौहान, प्राथमिक विद्यालय परसरामपुर, विकासखंड बरमकेला, तह. सारंगढ़, जिला रायगढ़(छग) में शिक्षाकर्मी के रूप में पदस्थ, स्थायी निवास- ग्राम पंचधार, विकासखंड बरमकेला, तह. रायगढ़, जिला रायगढ़(छग), (अनुलग्नक पी-2 में स.क्र. 142 पर)
 2. बृन्दावन सिदार, आयु लगभग 21 वर्ष, पिता श्री जोगीराम सिदार, प्राथमिक विद्यालय कोर्वा, विकासखंड बरमकेला, तह. सारंगढ़, जिला रायगढ़(छग), स्थायी



निवासी-ग्राम सरिया, विकासखंड बरमकेला, तह. रायगढ़, जिला रायगढ़(छग), (अनुलग्नक पी-2 में स.क्र. 95 पर)

3. चंद्रजीत सिदार, आयु लगभग 20 वर्ष, पिता श्री फ़कीर सिदार, प्राथमिक विद्यालय तोरा, विकासखंड बरमकेला, तह. सारंगढ़, जिला रायगढ़(छग), में शिक्षाकर्मों के पद पर पदस्थ, स्थायी निवास-ग्राम लुकापारा, विकासखंड बरमकेला, तह. रायगढ़, जिला रायगढ़(छग) (अनुलग्नक पी-2 में स.क्र. 89 पर)

4. घनश्याम चौहान, आयु लगभग 20 वर्ष, पिता देवनाथ चौहान, प्राथमिक विद्यालय बोंदा, विकासखंड बरमकेला, तह. सारंगढ़, जिला रायगढ़(छग), में शिक्षाकर्मों के पद पर पदस्थ, स्थायी निवास ग्राम बोंदा, विकासखंड बरमकेला, तह. रायगढ़, जिला रायगढ़(अनुलग्नक पी-2 में स.क्र. 153 पर)

5. कु. जग्यासेनी सदावर्ती, आयु लगभग 19 वर्ष, पिता श्री धरम सिंह सदावर्ती, प्राथमिक विद्यालय लुकापारा, विकासखंड बरमकेला, तह. सारंगढ़, जिला रायगढ़(छग) में शिक्षाकर्मों के पद पर पदस्थ, स्थायी निवास ग्राम राजपुर, सारंगढ़, जिला रायगढ़(छग) (अनुलग्नक पी-2 में स.क्र. 61 पर)

6. कु. दीप किरण सोरेंग, आयु लगभग 27 वर्ष, पिता अन्जलुस सोरेंग, प्राथमिक विद्यालय सरिया, विकासखंड बरमकेला, तह. सारंगढ़, जिला रायगढ़(छग), में शिक्षाकर्मों के पद पर पदस्थ, स्थायी निवास दीपरापारा,





विकासखंड बरमकेला, तह. रायगढ़, जिला रायगढ़(छग)
(अनुलग्नक पी-2 में स.क्र. 73 पर)

7. कु. सुशीला तिर्की, आयु लगभग 30 वर्ष, पिता पौलुस तिर्की, प्राथमिक विद्यालय अमुरा, विकासखंड बरमकेला, तह. सारंगढ़, जिला रायगढ़(छग), में शिक्षाकर्मी के पद पर पदस्थ, स्थायी निवास ग्राम सरिया(दीपरापारा), तह. सारंगढ़, जिला रायगढ़(अनुलग्नक पी-2 में स.क्र. 123 पर)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा:सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर(छग)
2. कलेक्टर, रायगढ़, जिला रायगढ़(छग)
3. जनपद पंचायत बरमकेला, द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बरमकेला, जिला रायगढ़(छग)
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बरमकेला, जिला रायगढ़(छग)

उपस्थिति

:

याचिकाकर्ता के लिए श्री रूप नायक, अधिवक्ता

राज्य/उत्तरवादीगण के लिए श्री ए.एस. कछवाहा, उप
महाधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 5832/2007याचिकाकर्तागण

:

1. विनय कुमार शर्मा, आयु लगभग 29 वर्ष, पिता दिलीप कुमार शर्मा, प्राथमिक विद्यालय मरोदाराहा, विकासखंड बरमकेला, तह. सारंगढ, जिला रायगढ(छग) में शिक्षाकर्मी के पद पर पदस्थ, स्थायी निवास ग्राम खतानी, पोस्ट कौंदापाली, विकासखंड पुस्सौर, तह. और जिला रायगढ(छग) (अनुलग्नक पी-2 में स.क्र. 14 पर)
2. श्री प्रमोद कुमार चौहान, आयु लगभग 34 वर्ष, पिता चंद्रभानु चौहान, प्राथमिक विद्यालय पीपरखूटा, विकासखंड बरमकेला, तह. सारंगढ, जिला रायगढ(छग), में शिक्षाकर्मी के पद पर पदस्थ, स्थायी निवास ग्राम बेंगची, विकासखंड बरमकेला, तह. रायगढ, जिला रायगढ(छग)(अनुलग्नक पी-2 में स.क्र. 144 पर)
3. पदुम लाल सिदार, आयु लगभग 42 वर्ष, पिता श्री सहदेव सिदार, प्राथमिक विद्यालय लोधिया, विकासखंड बरमकेला, तह. सारंगढ, जिला रायगढ(छग), में शिक्षाकर्मी के पद पर पदस्थ, स्थायी निवास ग्राम डभरा, विकासखंड बरमकेला, तह. सारंगढ, जिला रायगढ(छग)(अनुलग्नक पी-2 में स.क्र. 82 पर)
4. विनोद कुमार पटेल, आयु लगभग 27 वर्ष, पिता श्री मगन लाल पटेल, प्राथमिक विद्यालय सुखापाली, विकासखंड बरमकेला, तह. सारंगढ, जिला रायगढ(छग), में शिक्षाकर्मी के पद पर पदस्थ, स्थायी





निवास ग्राम खरवानी, विकासखंड बरमकेला, तह. सारंगढ, जिला रायगढ(छग)(अनुलग्नक पी-2 में स.क्र. 12 पर)

5. कु. सीमा भोई, आयु लगभग 19 वर्ष, पिता श्री कीर्तन भोई, प्राथमिक विद्यालय बिलाईगढ(बी), विकासखंड बरमकेला, तह. सारंगढ, जिला रायगढ(छग), में शिक्षाकर्मी के पद पर पदस्थ, स्थायी निवास ग्राम लामिपाली, विकासखंड बरमकेला, तह. सारंगढ, जिला रायगढ(छग)(अनुलग्नक पी-2 में स.क्र. 118 पर)
6. कु. अनीता पटेल, आयु लगभग 21 वर्ष, पिता श्री मुरलीधर पटेल, प्राथमिक विद्यालय लोधिया, विकासखंड बरमकेला, तह. सारंगढ, जिला रायगढ(छग) में शिक्षाकर्मी के पद पर पदस्थ, स्थायी निवास ग्राम खपरापाली, विकासखंड बरमकेला, तह. सारंगढ, जिला रायगढ(छग)(अनुलग्नक पी-2 में स.क्र. 07 पर)
7. देवेन्द्र कुमार सिदार, आयु लगभग 22 वर्ष, पिता श्री गुलाब सिदार, प्राथमिक विद्यालय लोधिया, विकासखंड गिरहुलपाली, तह. सारंगढ, जिला रायगढ(छग) में शिक्षाकर्मी के पद पर पदस्थ, स्थायी निवास ग्राम कांगडीह, पोस्ट नवापारा(तेंद्रा), तह. घरघोडा, जिला रायगढ(छग)(अनुलग्नक पी-2 में स.क्र. 109 पर)
8. भुवनेश्वर प्रसाद सिदार, आयु लगभग 21 वर्ष, पिता श्री घासीराम सिदार, प्राथमिक विद्यालय लिमपाली, विकासखंड बरमकेला, तह. सारंगढ, जिला रायगढ(छग) में शिक्षाकर्मी के पद पर पदस्थ, स्थायी निवास ग्राम





रनभाटा, पोस्ट बूंगा, थाना पुस्सौर, तह. और जिला रायगढ़, जिला रायगढ़(छग)(अनुलग्नक पी-2 में स.क्र. 93 पर)

9. योगेश कुमार सिदार, आयु लगभग 29 वर्ष, पिता श्री बोधराम सिदार, प्राथमिक विद्यालय बेंगची, विकासखंड बरमकेला, तह. सारंगढ़, जिला रायगढ़(छग) में शिक्षाकर्मी के पद पर पदस्थ, स्थायी निवास ग्राम चांटीपाली, विकासखंड बरमकेला, तह. सारंगढ़, जिला रायगढ़(छग)(अनुलग्नक पी-2 में स.क्र. 64 पर)

10. कु. नोहर पटेल, आयु लगभग 21 वर्ष, पिता श्री गुलाब राम पटेल, प्राथमिक विद्यालय बोंदा, विकासखंड बरमकेला, तह. सारंगढ़, जिला रायगढ़(छग) में शिक्षाकर्मी के पद पर पदस्थ, स्थायी निवास ग्राम तेरकेला, रायगढ़, तह. और जिला रायगढ़(छग) (अनुलग्नक पी-2 में स.क्र. 33 पर)

11. संजय कुमार सिदार, आयु लगभग 21 वर्ष, पिता श्री पंदिर राम सिदार, प्राथमिक विद्यालय कंडोला, विकासखंड बरमकेला, तह. सारंगढ़, जिला रायगढ़(छग) में शिक्षाकर्मी के पद पर पदस्थ, स्थायी निवास ग्राम सुखापाली, विकासखंड बरमकेला, तह. सारंगढ़, जिला रायगढ़(छग)(अनुलग्नक पी-2 में स.क्र. 83 पर)

12. शंकर प्रसाद मिश्रा, आयु लगभग 28 वर्ष, पिता श्री जयराम मिश्रा, प्राथमिक विद्यालय सांकरा, विकासखंड बरमकेला, तह. सारंगढ़, जिला रायगढ़(छग) में शिक्षाकर्मी के पद पर पदस्थ, स्थायी निवास ग्राम





सांकरा, विकासखंड बरमकेला, तह. सारंगढ, जिला
रायगढ(छग)(अनुलग्नक पी-2 में स.क्र. 27 पर)

13. पदमन कुमार रात्रे, आयु लगभग 22 वर्ष, पिता श्री
छोट्ट राम रात्रे, प्राथमिक विद्यालय अमाकोनी,
विकासखंड बरमकेला, तह. सारंगढ, जिला रायगढ(छग)
में शिक्षाकर्मी के पद पर पदस्थ, स्थायी निवास ग्राम
तपरदा, विकासखंड पुस्तौर, तह. और जिला
रायगढ(छग)(अनुलग्नक पी-2 में स.क्र. 152 पर)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

:

1. छत्तीसगढ राज्य, द्वारा:सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण
विकास विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय,
रायपुर(छग)
2. कलेक्टर, रायगढ, जिला रायगढ(छग)
3. जनपद पंचायत बरमकेला, द्वारा मुख्य कार्यपालन
अधिकारी, जनपद पंचायत बरमकेला, जिला
रायगढ(छग)
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बरमकेला,
जिला रायगढ(छग)

उपस्थिति

:

याचिकाकर्ता के लिए श्री रूप नायक, अधिवक्ता
राज्य/उत्तरवादीगण के लिए श्री ए.एस. कछवाहा, उप
महाधिवक्ता

याचिकाकर्तागण

:

1. राजेंद्र कुमार निषाद, पिता श्री जयराम नायक, आयु लगभग 27 वर्ष, वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय लामिपाली, विकासखंड बरमकेला, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़) में शिक्षाकर्मी वर्ग III के रूप में पदस्थ एवं कार्यरत
2. कु. सुनीता वारे, पिता बेदराम वारे, आयु लगभग 21 वर्ष, वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय बैगिनडीही, विकासखंड बरमकेला, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़) में शिक्षाकर्मी वर्ग III के रूप में पदस्थ एवं कार्यरत
3. निशा चौहान, पिता श्यामलाल चौहान, आयु लगभग 19 वर्ष, वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय थांगगुडी, विकासखंड बरमकेला, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़) में शिक्षाकर्मी वर्ग III के रूप में पदस्थ एवं कार्यरत
4. जवाहरलाल सिदार, पिता श्री रतनलाल सिदार, आयु लगभग 23 वर्ष, वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय पोरथ, विकासखंड बरमकेला, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़) में शिक्षाकर्मी वर्ग III के रूप में पदस्थ एवं कार्यरत
5. रामलाल सिदार, पिता मालिकराम सिदार, आयु लगभग 21 वर्ष, वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय बम्हनीपाली, विकासखंड बरमकेला, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़) में शिक्षाकर्मी वर्ग III के रूप में पदस्थ एवं कार्यरत
6. तुलसीराम सिदार, पिता अरतलाल सिदार, आयु लगभग 25 वर्ष, वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय बिलाईगढ़, विकासखंड बरमकेला, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़) में शिक्षाकर्मी वर्ग III के रूप में पदस्थ एवं कार्यरत





7. अल्फ्रेड कुजूर, पिता सिल्वानुष कुजूर, आयु लगभग 21 वर्ष, वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय जटियापाली, विकासखंड बरमकेला, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़) में शिक्षाकर्मि वर्ग III के रूप में पदस्थ एवं कार्यरत
8. पूर्णिमा पटेल, पिता श्री नंद कुमार पटेल, आयु लगभग 24 वर्ष, वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय मानिकपुर(बड़े), विकासखंड बरमकेला, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़) में शिक्षाकर्मि वर्ग III के रूप में पदस्थ एवं कार्यरत
9. फागुलाल पटेल, पिता बलपुरसो पटेल, आयु लगभग 36 वर्ष, वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय मानिकपुर(बड़े), विकासखंड बरमकेला, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़) में शिक्षाकर्मि वर्ग III के रूप में पदस्थ एवं कार्यरत
10. कु. सुशीला सिदार, पिता विद्याधर सिदार, आयु लगभग 21 वर्ष, वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय झबड़, विकासखंड बरमकेला, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़) में शिक्षाकर्मि वर्ग III के रूप में पदस्थ एवं कार्यरत
11. कु. सुशीला एक्का, पिता बोनिफाश एक्का, आयु लगभग 21 वर्ष, वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय पतेरापाली, विकासखंड बरमकेला, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़) में शिक्षाकर्मि वर्ग III के रूप में पदस्थ एवं कार्यरत
12. कु. प्रेमी टोप्पो, पिता कुंवर टोप्पो, आयु लगभग 20 वर्ष, वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय बरगांव, विकासखंड बरमकेला, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़) में शिक्षाकर्मि वर्ग III के रूप में पदस्थ एवं कार्यरत





13. रमेश टोप्पो, पिता जयराम टोप्पो, आयु लगभग 22 वर्ष, वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय बेंदरापारा, विकासखंड बरमकेला, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़) में शिक्षाकर्मि वर्ग III के रूप में पदस्थ एवं कार्यरत
14. राम भगत, पिता गंगाराम भगत, आयु लगभग 23 वर्ष, वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय दमदमा, विकासखंड बरमकेला, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़) में शिक्षाकर्मि वर्ग III के रूप में पदस्थ एवं कार्यरत
15. कु. ललिता तिग्गा, पिता गेंदा तिग्गा, आयु लगभग 22 वर्ष, वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय धनिगांव, विकासखंड बरमकेला, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़) में शिक्षाकर्मि वर्ग III के रूप में पदस्थ एवं कार्यरत
16. मोहन पटेल, पिता राम भरोस पटेल, आयु लगभग 24 वर्ष, वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय बोरिदा, विकासखंड बरमकेला, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़) में शिक्षाकर्मि वर्ग III के रूप में पदस्थ एवं कार्यरत
17. कु. लोपामुद्रा सिदार, पिता चमार सिंह सिदार, आयु लगभग 19 वर्ष, वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय खैरगडी, विकासखंड बरमकेला, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़) में शिक्षाकर्मि वर्ग III के रूप में पदस्थ एवं कार्यरत
18. विजय सोनी, पिता हरिराम सोनी, आयु लगभग 24 वर्ष, वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय करिगंथी, विकासखंड बरमकेला, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़) में शिक्षाकर्मि वर्ग III के रूप में पदस्थ एवं कार्यरत
19. राम कुमार साहू, पिता समारू साहू, आयु लगभग 25





वर्ष, वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय विष्णुपाली, विकासखंड बरमकेला, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़) में शिक्षाकर्मि वर्ग III के रूप में पदस्थ एवं कार्यरत

20. सुनऊ राम यादव, पिता सुकलाल यादव, आयु लगभग 26 वर्ष, वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय बहालीडीही, विकासखंड बरमकेला, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़) में शिक्षाकर्मि वर्ग III के रूप में पदस्थ एवं कार्यरत

21. नरेश कुमार सिदार, पिता रेशम लाल सिदार, आयु लगभग 24 वर्ष, वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय बौदा, विकासखंड बरमकेला, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़) में शिक्षाकर्मि वर्ग III के रूप में पदस्थ एवं कार्यरत

22. योगेन्द्र पटेल, पिता राम कुमार पटेल, आयु लगभग 24 वर्ष, वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय लंजिर, विकासखंड बरमकेला, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़) में शिक्षाकर्मि वर्ग III के रूप में पदस्थ एवं कार्यरत



विरुद्ध

उत्तरवादीगण

:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा:सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डीकेएस भवन, मंत्रालय, रायपुर(छग)
2. कलेक्टर, रायगढ़, जिला रायगढ़(छग)
3. जनपद पंचायत बरमकेला, द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बरमकेला, जिला रायगढ़(छग)
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बरमकेला, जिला रायगढ़(छग)



उपस्थिति : याचिकाकर्ता के लिए श्री बी.डी. गुरु, अधिवक्ता
राज्य/उत्तरवादीगण के लिए श्री ए.एस. कछवाहा, उप
महाधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 5238/2007

- याचिकाकर्तागण** :
1. मुरलीधर चौधरी, आयु लगभग 33 वर्ष, पिता श्री चंद्रसेम, निवासी ग्राम एवं पोस्ट लेन्द्रा, तहसील सारंगढ, जिला रायगढ(छत्तीसगढ)
 2. उत्तम कुमार नायक, पिता श्री केशव चंद्रा नायक, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी कुम्हारी, तहसील सारंगढ, जिला रायगढ(छत्तीसगढ)
 3. जगदीश पटेल, पिता श्री कमल सिंह पटेल, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम सिंगारपुर, तहसील सारंगढ, जिला रायगढ(छत्तीसगढ)
 4. अनुपम कुमार सिदार, पिता श्री स्वराज सिंह सिदार, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम देवगढ, तहसील घरघोडा, जिला रायगढ(छत्तीसगढ)
 5. रामदयाल चौधरी, पिता दादूराम चौधरी, आयु लगभग 39 वर्ष, निवासी ग्राम कुम्हारी, तहसील सारंगढ, जिला रायगढ(छत्तीसगढ)
 6. श्रीमती द्रौपदी पटेल, पति श्री विजय कुमार पटेल, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम बग्राइल, तहसील डभरा,





जिला जांजगीर चांपा(छत्तीसगढ़)

7. कुमारी अनंति पटेल, पिता श्री दादूराम पटेल, आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी ग्राम बग्राइल, तहसील डभरा, जिला जांजगीर चांपा(छत्तीसगढ़)
8. कुमारी गीता पटेल, पिता श्री रामेश्वर सिंह पटेल, आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी ग्राम बग्राइल, तहसील डभरा, जिला जांजगीर चांपा(छत्तीसगढ़)
9. कुमारी फूलमती पटेल, पिता श्री रामदयाल पटेल, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम गोपालपुर, तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़)
10. कुमारी निरमालाल सिदार, पिता श्री मोहर साय,, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम ब्लॉक कॉलोनी, वार्ड क्र. 2, घरघोड़ा, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़)
11. जेतराम साहू, पिता श्री सैल्कराम, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी ग्राम डोंगरीपाली, तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़)
12. कुमारी उर्मिला लकड़ा, पिता श्री मरियानुस लकड़ा, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम घोलेंग, तहसील और जिला जशपुर नगर(छत्तीसगढ़)
13. कुमारी फिलोमिना कुजूर, पिता श्री बहादुर कुजूर, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम पुतुकछर, तहसील धरमजयगढ़, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़)
14. कुमारी इंदुमती कुजूर, पिता कोर्नेलुस कुजूर, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी कलेक्ट्रेट के सामने, पंजरी प्लांट, प्रेम नगर, चक्रधर नगर, जिला





रायगढ(छत्तीसगढ)

15. कुमारी रोशालिया कुजूर, पिता श्री युजिन कुजूर, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी कलेक्ट्रेट के सामने, पंजरी प्लांट, प्रेम नगर, चक्रधर नगर, जिला रायगढ(छत्तीसगढ)
16. कुमारी विनय एक्का, पिता स्टीफन एक्का, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी सी/ओ अजित हर्मन तिर्की, कैथेलिक आश्रम, हती, जिला रायगढ(छग)
17. कुमारी सुनीता लकड़ा, पिता श्री मरियानुस लकड़ा, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी सी/ओ एल.आर. भगत, किरोड़ीमल शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ(छत्तीसगढ)
18. कुमारी शशि अंजना बड़ा, पिता नहूम बड़ा, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी ग्राम झिलमिल, तहसील एवं जिला जशपुर नगर(छत्तीसगढ)
19. बसंत लाल लकड़ा, पिता भौवाराम लकड़ा, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी सी/ओ शनिराम भगत, जवाहर नगर, रामभाटा, रायगढ, तहसील और जिला रायगढ(छत्तीसगढ)
20. कुमारी फिलोमिना तिग्गा, पिता श्री कल्याण तिग्गा, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी लुडेग, तहसील पत्थलगंवा, जिला जशपुर नगर(छत्तीसगढ)
21. कुमारी विनीता पन्ना, पिता श्री पोंतियानुस पन्ना, आयु लगभग 20 वर्ष, निवसी बाबाकुटी(सहसपुर), सारंगढ, जिला रायगढ(छत्तीसगढ)
22. गौरीशंकर नारंग, पिता श्री अलेखराम नारंग, आयु





लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम नगरीडीह, तहसील
जैजैपुर, जिला जांजगीर चांपा(छत्तीसगढ़)

23. रूबी सिंह, पिता श्री जय सिंह, आयु लगभग 34 वर्ष,
निवासी सी/ओ चन्द्रमोहन नंदा, ग्राम डोंगरीपाली,
तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़)

24. कुमारी सावित्री नायक, पिता अजेन्द्र कुमार नायक,
आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम तौंसिर, तहसील
सारंगढ़, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़)

25. कुमारी कौशिल्या भगत, पिता श्री विचित्रराम भगत,
आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम घरघोड़ा, तहसील
घरघोड़ा, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़)

सभी याचिकाकर्ता जनपद पंचायत बरमकेला, विकासखंड जिला
रायगढ़(छग) में शिक्षाकर्मी वर्ग III के रूप में कार्यरत हैं ।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा:सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण
विकास विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर(छग)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बरमकेला,
जिला रायगढ़(छग)

उपस्थिति

:

याचिकाकर्ता के लिए श्री आर.के. केशरवानी, अधिवक्ता
राज्य/उत्तरवादीगण के लिए श्री ए.एस. कछवाहा, उप
महाधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 5167/2007

याचिकाकर्तागण

:

1. पोखराम पटेल, पिता गोरखनाथ पटेल, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी धौराभाटा, पोस्ट गुडेली, तहसील सारंगढ, जिला रायगढ कु. पूनम, पिता श्याम लाल, आयु लगभग 19 वर्ष

वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय पोरथ, विकासखण्ड बरमकेला, जिला रायगढ(छग) में शिक्षाकर्मी वर्ग III के पद पर पदस्थ एवं कार्यरत

2. सुरेश कुमार चौधरी, पिता बाबूलाल चौधरी, आयु लगभग 35 वर्ष, निवास गौरैदिहा, पोस्ट बिरनीपाली, तहसील सारंगढ, जिला रायगढ(छग)

वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय कदलिसरार, विकासखण्ड बरमकेला, जिला रायगढ(छग) में शिक्षाकर्मी वर्ग III के पद पर पदस्थ एवं कार्यरत

3. गुरा सागर नायक, पिता तोषराम नायक, आयु लगभग 25 वर्ष, निवास देवगांव, सरिया होते हुए, तहसील सारंगढ, जिला रायगढ(छग)

वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय अमेरी, विकासखण्ड बरमकेला, जिला रायगढ(छग) में शिक्षाकर्मी वर्ग III के पद पर पदस्थ एवं कार्यरत

4. गंगाराम नायक, पिता सालिकराम नायक, आयु लगभग 22 वर्ष, निवास अमेरी, पोस्ट देवगांव, तहसील, सारंगढ, जिला रायगढ(छग)

वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय कोसमडीहा, विकासखण्ड बरमकेला, जिला रायगढ(छग) में शिक्षाकर्मी वर्ग III के पद पर पदस्थ एवं कार्यरत





5. श्रीमती सावित्री पटेल, पति गोविंदराम पटेल, आयु लगभग 28 वर्ष, निवास कमरीद, पोस्ट रिसोरा, तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़(छग)

वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय कमरीद, विकासखण्ड बरमकेला, जिला रायगढ़(छग) में शिक्षाकर्मि वर्ग III के पद पर पदस्थ एवं कार्यरत

6. श्रीमती ममता पंडा, पति मनोज कुमार पंडा, आयु लगभग 28 वर्ष, निवास चेवरीपाली, पोस्ट बरपाली, तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़(छग)

वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय चेवरीपाली, विकासखण्ड बरमकेला, जिला रायगढ़(छग) में शिक्षाकर्मि वर्ग III के पद पर पदस्थ एवं कार्यरत

7. कु. यशोदा पटेल, पिता कृष्णचंद्र पटेल, आयु लगभग 27 वर्ष, निवास जमूरा, तहसील खरसिया, जिला रायगढ़(छग)

वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय कंदुरपाली, विकासखण्ड बरमकेला, जिला रायगढ़(छग) में शिक्षाकर्मि वर्ग III के पद पर पदस्थ एवं कार्यरत

8. श्रीमती तारावती पटेल, पति नीलाम्बर पटेल, आयु लगभग 28 वर्ष, निवास नंदेली, तहसील एवं जिला रायगढ़(छग)

वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय देवगांव, विकासखण्ड बरमकेला, जिला रायगढ़(छग) में शिक्षाकर्मि वर्ग III के पद पर पदस्थ एवं कार्यरत

9. श्रीमती विनीता पटेल, पति मोतीराम पटेल, आयु





लगभग 30 वर्ष, निवास भावाकुती(सहसपुर), सारंगढ,
हनुमान चबूतरा के पास, पीपल पेड़, तहसील सारंगढ,
जिला रायगढ(छग)

वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय खोरिगाँव, विकासखण्ड
बरमकेला, जिला रायगढ(छग) में शिक्षाकर्मी वर्ग III के पद
पर पदस्थ एवं कार्यरत

10.केसव प्रसाद पटेल, पिता जगदीश पटेल, आयु लगभग
30 वर्ष, निवास किरारी, चंद्रपुर होते हुए, जिला
जांजगीर(छग)

वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय सरिया, विकासखण्ड बरमकेला,
जिला रायगढ(छग) में शिक्षाकर्मी वर्ग III के पद पर पदस्थ
एवं कार्यरत

11.विजय कुमार नायक, पिता आयवर लाल नायक, आयु
लगभग 24 वर्ष, निवास नवापाली, पोस्ट बरमकेला,
तहसील सारंगढ, जिला रायगढ(छग)

वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय नवापाली, विकासखण्ड
बरमकेला, जिला रायगढ(छग) में शिक्षाकर्मी वर्ग III के पद
पर पदस्थ एवं कार्यरत

12.अजय कुमार चौहान, पिता महेश राम चौहान, आयु
लगभग 22 वर्ष, निवास किरारी, चंद्रपुर होते हुए, जिला
रायगढ(छग)

वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय पिहरा, विकासखण्ड बरमकेला,
जिला रायगढ(छग) में शिक्षाकर्मी वर्ग III के पद पर पदस्थ
एवं कार्यरत



**विरुद्ध****उत्तरवादीगण**

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा:सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डीकेएस भवन, मंत्रालय, रायपुर(छग)
2. कलेक्टर, रायगढ़, जिला रायगढ़(छग)
3. जनपद पंचायत बरमकेला, द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बरमकेला, जिला रायगढ़(छग)
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बरमकेला, जिला रायगढ़(छग)

उपस्थिति

- : याचिकाकर्ता के लिए श्री बी.डी. गुरु, अधिवक्ता राज्य/उत्तरवादीगण के लिए श्री ए.एस. कछवाहा, उप महाधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 992/2008**याचिकाकर्तागण**

- : 1. धनराज पवार, आयु लगभग 22 वर्ष, पिता श्री सजोरम पवार, शासकीय प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 91, पखांजूर, जनपद पंचायत कोयलीबेडा में शिक्षाकर्मी वर्ग III के पद पर पदस्थ, निवास बेलगल, पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर
2. कु. पूर्णिमा बैन, आयु लगभग 20 वर्ष, पिता श्री सुबल बैन, शासकीय प्राथमिक शाला, पी.वी. 94(शासकीय माध्यमिक शाला पी.वी. 21), पखांजूर, जनपद पंचायत कोयलीबेडा में शिक्षाकर्मी वर्ग III के पद पर पदस्थ,



- निवास पी.वी. 23, पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर
3. अजय टेकाम, आयु लगभग 22 वर्ष, पिता श्री पंचू टेकाम, शासकीय प्राथमिक शाला पी.वी. 52, जनपद पंचायत कोयलीबेडा में शिक्षाकर्मी वर्ग III के पद पर पदस्थ, निवास मवासा मानपुर, तहसील मानपुर, जिला राजनांदगांव(छग)
4. लाकेश कुमार कोमारा, आयु लगभग 21 वर्ष, पिता श्री महेत्तर कोमारा, शासकीय प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 91, पखांजूर, जनपद पंचायत कोयलीबेडा में शिक्षाकर्मी वर्ग III के पद पर पदस्थ, निवास बेल्गल बंदे, पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर(छग)
5. भुवनेश्वर पवार, आयु 22 वर्ष, पिता श्री शोन सिंह पवार, शासकीय प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 89, जनपद पंचायत कोयलीबेडा में शिक्षाकर्मी वर्ग III के पद पर पदस्थ, निवास बेगल पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर
6. योगेश्वर कुमार साहू, शासकीय प्राथमिक विद्यालय हंसर्फी, ग्राम पंचायत धोरकता, जनपद पंचायत कोयलीबेडा में शिक्षाकर्मी वर्ग III के पद पर पदस्थ, निवास मानपुर, तहसील मानपुर, जिला राजनांदगांव(छग)



विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- :
1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा:सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डीकेएस भवन, मंत्रालय रायपुर(छग)
 2. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर(छग)



-
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेडा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर(छग)
 4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर(छग)
 5. विकासखंड शिक्षा अधिकारी. कोयलीबेडा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर(छग)

उपस्थिति : याचिकाकरण के लिए श्री जे.एन. नंदे, अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 3 एवं 4 के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर,
अधिवक्ता
राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 154/2008

- याचिकाकर्तागण :
1. रमेश सरकार, आयु लगभग 26 वर्ष, पिता श्री सुनील सरकार, निवास पी.वी. 22, तह. पखांजूर, जिला कांकेर(छग)
 2. गुप्तेश्वर चोरका, आयु लगभग 24 वर्ष, पिता श्री मंडल लाल, निवास एच-195, बैंक कॉलोनी, पखांजूर, जिला कांकेर(छग)
 3. धनराज भुआर्य, आयु लगभग 25 वर्ष, पिता श्री पंचुराम भुआर्य, निवास पटेली घोटिया, बालोद, जिला दुर्ग(छग)
 4. गणेश्वरी मंडावी, आयु लगभग 21 वर्ष, पिता श्री हीरे सिंह, निवास ग्राम छिन्दपाल, तह. पखांजूर, जिला





कांकेर(छग)

5. श्रीमती सरोज सिन्हा, आयु लगभग 28 वर्ष, पति तेजेश्वर सिन्हा, निवासी ग्राम पोस्ट लखनपुरी, जिला कांकेर (छ.ग.)
6. खुमान सिंह ठाकुर आयु लगभग 27 वर्ष, पिता गोकुल राम, निवासी पटेली गोटिया, बालोद, जिला दुर्ग।
7. उमा नेताम आयु लगभग 27 वर्ष, पिता नरेन्द्र कुमार, ग्राम पोस्ट छबेला मानपुर, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
8. सिल्पी हलधर, आयु लगभग 21 वर्ष, पिता नरेंद्र, निवासी सत्यानंद पल्ली, पखांजूर, जिला कांकेर (छ.ग.)
9. कांता राम साहू, आयु लगभग 21 वर्ष, पिता मुनीराम साहू, निवासी ग्राम हर्नाडुला, तह. चारामा, जिला कांकेर (छ.ग.)
10. नवीन कुंडू, आयु लगभग 23 वर्ष, पिता नेपाल कुंडू, निवासी ग्राम + पोस्ट पीवी 46, तह. पखांजूर, जिला कांकेर (छ.ग.)
11. पिलाबाई देहारी, आयु लगभग 23 वर्ष, पिता सरवन देहारी, निवासी ग्राम पोस्ट पीलीभट्टी औंधी, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
12. कु. कुलेश्वरी धुर्वे, आयु लगभग 19 वर्ष, पिता गौकरण धुर्वे, निवासी ग्राम पोस्ट करोंगा, जिला धमतरी (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. कलेक्टर, कांकेर।





3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
4. जिला पंचायत, द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।

उपस्थिति : याचिकाकर्ता के लिए श्री पराग कोटेचा, अधिवक्ता राज्य/उत्तरवादीगण संख्या 1, 2, एवं 5 के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता उत्तरवादी संख्या 3 एवं 4 के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर, अधिवक्ता

याचिकाकर्तागण : 1. कु. सीमा शील, आयु लगभग 27 वर्ष, पिता इंद्र कुमार शील, निवासी पीवी 20, तह-पखांजूर, जिला कांकेर (छ.ग.)

रिट याचिका (सेवा) क्र. 155/2008

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. कलेक्टर, कांकेर।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
4. जिला पंचायत, द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला





उत्तर बस्तर कांकेर।

5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड कोयलीबेड़ा,
जिला उत्तर बस्तर कांकेर।

उपस्थिति : याचिकाकर्ता के लिए श्री पराग कोटेचा, अधिवक्ता
राज्य/उत्तरवादीगण संख्या 1, 2, एवं 5 के लिए श्री
यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 3 एवं 4 के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर,
अधिवक्ता



रिट याचिका (सेवा) क्र. 187/2008

1. अनिरुद्ध मंडावी, आयु लगभग 23 वर्ष, पिता उजियार मंडावी, निवासी डुमाली, तह और जिला कांकेर (छ.ग.)
2. जगदीश कचेन्द्र आयु लगभग 24 वर्ष, पिता मान सिंह निवासी घोटिया, तहसील बालोद, जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

- उत्तरवादीगण :
1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर (छ.ग.)
 2. कलेक्टर, कांकेर.
 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
 4. जिला पंचायत, द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।



उपस्थिति : याचिकाकर्ता के लिए श्री पराग कोटेचा, अधिवक्ता
राज्य/उत्तरवादीगण संख्या 1 और 2 के लिए श्री यू.एन.एस.
देव, शासकीय अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 3 एवं 4 के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर,
अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 212/2008

याचिकाकर्ता : 1. कैलाश चंद ठाकुर, पिता भागवत प्रसाद ठाकुर, आयु
लगभग 30 वर्ष, व्यवसाय-सेवारत, शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के
पद पर कार्यरत, निवासी ग्राम-जम्हार, पिथौरा, जिला-
महासमुंद (छ.ग.)

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं समाज
कल्याण, डीकेएस भवन, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
2. संचालक, पंचायत, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
3. कलेक्टर, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पिथौरा,
जिला महासमुंद (छ.ग.)
5. जिला शिक्षा अधिकारी, महासमुंद, जिला-महासमुंद
(छ.ग.)
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत महासमुंद,
जिला-महासमुंद (छ.ग.)

उपस्थिति : याचिकाकर्ता के लिए अवध त्रिपाठी, अधिवक्ता



उत्तरवादी संख्या 1, 2, 3 एवं 5 के लिए श्री यू.एन.एस. देव,
शासकीय अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 4 एवं 6 के लिए श्री पंकज श्रीवास्तव

रिट याचिका (सेवा) क्र. 225/2008

याचिकाकर्तागण

:

1. जगदीश प्रसाद समरथ, आयु 27 वर्ष, पिता श्री महेत्तर समरथ, शासकीय प्राथमिक शाला टेकामेटा, ग्राम पंचायत बेलगल, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड III के रूप में पदस्थ, निवासी ग्राम टेकामेटा तहसील-पखांजूर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)।
2. कु. नीलम एक्का, आयु 31 वर्ष, शासकीय प्राथमिक विद्यालय पीवी 92, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड III के रूप में पदस्थ, निवासी पीवी-92, ग्राम छोटे बेठिया, पखांजूर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छग)
3. कु. अंजलि खलखो, आयु 26 वर्ष, पिता श्री जूलियस खलखो, शासकीय प्राथमिक विद्यालय ज्ञानकुपारा, पोस्ट मचपल्ली, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड III के रूप में पदस्थ, निवासी मछापल्ली (संगम), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छग)
4. श्रीमती लता वैद्य, आयु 21 वर्ष, पति श्री वीरेंद्र कुमार वैद्य, शासकीय मध्य विद्यालय संगम, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड III के रूप में पदस्थ, निवासी ग्राम शाहखट्टा, डाकघर अशुरखर, तहसील





भानुप्रतापपुर-जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

5. शिलवेस्टर लकड़ा, आयु 25 वर्ष, पिता श्री जोहान लकड़ा, शासकीय प्राथमिक विद्यालय बालक आश्रम माछापल्ली जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मि ग्रेड III के रूप में पदस्थ, निवासी माछापल्ली (संगम), पोस्ट एवं तहसील पखांजूर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
6. कु. सुनीता देहारी, आयु 20 वर्ष, पिता श्री सकारू राम देहारी, शासकीय प्राथमिक विद्यालय पीवी 78 (संकुल-बेलगाल) जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मि ग्रेड III के रूप में पदस्थ, निवासी थानापारा, पखांजूर, तहसील-पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)।
7. कु. सविता पात्रा, आयु 21 वर्ष, पिता श्री शंकरलाल पात्रा, शासकीय प्राथमिक विद्यालय पीवी 12 + 42 (संकुल-अशेबेड़ा), जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मि ग्रेड III के रूप में पदस्थ, निवासी शोहगांव, पखांजूर, तहसील- पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
8. संतोष गावड़े, आयु 32 वर्ष, पिता श्री सोमनाथ गावड़े, शासकीय प्राथमिक विद्यालय पीवी 61 (संकुल बरदा), जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मि ग्रेड III के रूप में पदस्थ, निवासी ग्राम-बड़ेतोपाल, पोस्ट पोंडगांव, तहसील-अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
9. दुष्यन्त भास्कर आयु 30 वर्ष, पिता श्री बद्धी भास्कर, शासकीय प्राथमिक विद्यालय पीवी 64 + 65 (संकुल





संगम) जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड III के रूप में पदस्थ, निवासी तेलगुडा चारामा तहसील-पखांजूर जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)।

10. हरीश चंद्र ठाकुर, आयु 21 वर्ष, पिता श्री सूरजभान ठाकुर, शासकीय प्राथमिक विद्यालय पीवी, 131 (संकुल मरोरा) जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी वर्ग III के पद पर पदस्थ, निवासी ग्राम-महुद, चारामा, तहसील-अंतागढ़, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

11. महाज्योति मंडल, आयु 30 वर्ष, पिता श्री जतीन्द्र मंडल, शासकीय प्राथमिक विद्यालय पीवी 77(संकुल मरोदा), जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड III के रूप में पदस्थ, निवासी पी.वी. 37, पखांजूर, तहसील पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर(छग)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डीकेएस भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
2. कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत-कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-उत्तर बस्तर कांकेर, जिला--उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड-कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)





उपस्थिति : याचिकाकर्ता के लिए श्री जितेन्द्र नाथ नंदे, अधिवक्ता
राज्य/उत्तरवादीगण संख्या 1, 2 एवं 5 के लिए श्री यू.एन.एस.
देव, शासकीय अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 3 एवं 4 के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर,
अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 238/2008

याचिकाकर्ता : 1. कु. सुपर्णा बरई, पिता जगदीश चन्द्र बरई, आयु
लगभग 33 वर्ष, निवासी पी.वी. 103, कुरेनर, जिला
उत्तर बस्तर कांकेर(छग)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण
विकास विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर
(छ.ग.)
3. जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर, जिला उत्तर बस्तर
कांकेर,(छ.ग.)
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर
बस्तर कांकेर, जिला रायपुर (छ.ग.)
5. जनपद पंचायत, कोयलीबेड़ा, द्वारा मुख्य कार्यपालन
अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर
बस्तर कांकेर (छ.ग.)।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत





कोयलीबेडा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

उपस्थिति : याचिकाकर्ता के लिए श्री मलय कुमार भादुडी, अधिवक्ता
राज्य/उत्तरवादीगण संख्या 1 से 4 के लिए श्री यू.एन.एस.
देव, शासकीय अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 5 एवं 6 के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर,
अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 240/2008

याचिकाकर्ता : 1. गोविन्द राम भुआर्य, आयु लगभग 25 वर्ष, पिता
अंगतराम भुआर्य, निवासी गायनी सहगाँव, डोंडीलोहार,
जिला दुर्ग

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा:सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण
विकास विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर(छग)
2. कलेक्टर, कांकेर
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
कोयलीबेडा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर(छग)
4. जिला पंचायत, द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला
उत्तर बस्तर कांकेर

उपस्थिति : याचिकाकर्ता के लिए श्री पराग कोटेचा, अधिवक्ता
राज्य/उत्तरवादी संख्या 1 एवं 2 के लिए श्री यू.एन.एस. देव,



शासकीय अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 3 एवं 4 के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर,
अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 248/2008

याचिकाकर्तागण

:

1. श्रीमती सुनीता प्रजापति, पति स्वर्गीय नंद कुमार प्रजापति, आयु लगभग 42 वर्ष।
2. श्रीमती पूनम प्रजापति, पति रमेश प्रजापति, आयु लगभग 31 वर्ष।

दोनों शिक्षाकर्मि वर्ग-III के रूप में सेवा में हैं, निवासी ग्राम-मुडीपार, पोस्ट-पिथौरा, जिला-महासमुंद (छ.ग.)।

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा:सचिव, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर, जिला रायपुर(छग)
2. संचालक, पंचायत, रायपुर, जिला रायपुर(छग)
3. कलेक्टर, महासमुंद, जिला महासमुंद(छग)
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पिथौरा, जिला महासमुंद(छग)
5. जिला शिक्षा अधिकारी, महासमुंद, जिला महासमुंद (छग)
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद, जिला महासमुंद(छग)





उपस्थिति : याचिकाकरण के लिए श्री अवध त्रिपाठी, अधिवक्ता
राज्य/उत्तरवादी संख्या 1, 2, 3 एवं 5 के लिए श्री यू.एन.एस.
देव, शासकीय अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 4 एवं 6 के लिए श्री पंकज श्रीवास्तव,
अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 249/2008

- याचिकाकर्तागण** :
1. प्रेम नाथ प्रधान, पिता पंचानन प्रधान, आयु लगभग 25 वर्ष, व्यवसाय शिक्षाकर्मी वर्ग-III, निवासी-सलहाटारी, बसना, जिला-महासमुंद (छ.ग.)
 2. अश्वनी कुमार बारिक पिता स्वर्गीय श्री तीज राम बारिक, आयु लगभग 28 वर्ष, व्यवसाय-शिक्षाकर्मी वर्ग-III, निवासी ग्राम सरायपाली, जिला-महासमुंद (छ.ग.)
 3. चंद्र कुमार साहू पिता श्री हरिहर सिंह साहू, आयु लगभग 24 वर्ष, व्यवसाय-शिक्षाकर्मी वर्ग-III, निवासी ग्राम किशिडी, सरायपाली, जिला-महासमुंद (छ.ग.)
 4. कार्तिक राम बारिक, पिता श्री उत्तर कुमार बारिक, आयु लगभग 20 वर्ष, व्यवसाय-शिक्षाकर्मी वर्ग-III, निवासी ग्राम तिहारीपाली, सरायपाली, जिला महासमुंद (छ.ग.)
 5. दादू राम यादव पिता श्री जनक राम यादव, आयु लगभग वर्ष, व्यवसाय-शिक्षाकर्मी वर्ग-III, निवासी मुकाम, पोस्ट मालदा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
 6. दिनेश कुमार कश्यप, पिता श्री सीता राम कश्यप, आयु लगभग वर्ष, निवासी मुकाम, पोस्ट मालदा, जिला





जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

उत्तरवादीगण

- :
1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा:सचिव, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर, जिला रायपुर(छग)
 2. संचालक, पंचायत, रायपुर, जिला रायपुर(छग)
 3. कलेक्टर, महासमुंद, जिला महासमुंद(छग)
 4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पिथौरा, जिला महासमुंद(छग)
 5. जिला शिक्षा अधिकारी, महासमुंद, जिला महासमुंद (छग)
 6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद, जिला महासमुंद(छग)

उपस्थिति

- :
- याचिकाकर्ता के लिए श्री अवध त्रिपाठी, अधिवक्ता राज्य/उत्तरवादी संख्या 1, 2, 3 एवं 5 के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता उत्तरवादी संख्या 4 एवं 6 के लिए श्री पंकज श्रीवास्तव, अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 253/2008

याचिकाकर्तागण

- :
1. सुलोचना नाग, पिता पारस राम नाग, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी ग्राम पौरखेड़ा, तहसील-भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर (छ.ग.)



**विरुद्ध****उत्तरवादीगण**

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. कलेक्टर, कांकेर।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर।
4. जिला पंचायत, द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर।

उपस्थिति

- : याचिकाकर्ता के लिए श्री विवेक वर्मा, अधिवक्ता राज्य/उत्तरवादी संख्या 1 एवं 2 के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता उत्तरवादी संख्या 3 एवं 4 के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर, अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 303/2008**याचिकाकर्ता**

- : 1. लोकेश्वर, पिता रामाधीन, आयु लगभग 31 वर्ष, व्यवसाय शिक्षा कर्मी, ग्रेड-III, माध्यमिक विद्यालय, पीवी-110, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला उत्तरी बस्तर, कांकेर (छ.ग.)

विरुद्ध**उत्तरवादीगण**

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, मंत्रालय, डीकेएस भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. कलेक्टर, जिला कांकेर (छ.ग.)



3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)
5. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड-कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

उपस्थिति : याचिकाकर्ता के लिए श्री डी.एन. प्रजापति, अधिवक्ता राज्य/उत्तरवादी संख्या 1, 2 एवं 5 के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता उत्तरवादी संख्या 3 एवं 4 के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर, अधिवक्ता

याचिकाकर्तागण :

रिट याचिका (सेवा) क्र. 313/2008

1. बिष्णुपद सरकार, आयु 34 वर्ष, पिता स्वर्गीय श्री तारापद सरकार, शासकीय प्राथमिक विद्यालय माछापल्ली (संकुल संगम) जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मि ग्रेड III के रूप में पदस्थ, निवासी पीवी 65, हरिनगर, तहसील-पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
2. तानसेन नागवंशी, आयु लगभग 38 वर्ष, पिता स्वर्गीय श्री हल्लुराम नागवंशी, शासकीय प्राथमिक विद्यालय नवानारकेरी (संकुल हैंकेर), जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मि ग्रेड III के रूप में पदस्थ, निवासी ग्राम-





नवागांव, पोस्ट कनेरी-तहसील गुरुर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

3. भाऊराम बाम्बोडे, आयु 29 वर्ष, पिता श्री नामदेव बाम्बोडे, शासकीय प्राथमिक विद्यालय पीवी 99 (उडुमगांव) (संकुल पनावर) जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड III के रूप में पदस्थ, निवासी ग्राम-मटोली तहसील पखांजूर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
4. जीतेन्द्र कुमार दुग्गा, आयु 23 वर्ष, पिता श्री रति राम दुग्गा, शासकीय प्राथमिक विद्यालय नवानारकेरी (संकुल हैंकेर) जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड III के रूप में पदस्थ, निवासी कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)।
5. कु. चुन्नम केशरी, आयु 19 वर्ष, पिता स्वर्गीय श्री जनकलाल केशरी, शासकीय प्राथमिक विद्यालय मार्कर(संकुल कोयलीबेड़ा) जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड III के रूप में पदस्थ, निवासी कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)।



विरुद्ध

उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डीकेएस भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
2. कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-उत्तर बस्तर



कांकेर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

5. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड कोयलीबेड़ा,
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

उपस्थिति : याचिकाकर्ता के लिए श्री जितेन्द्र नाथ नंदे, अधिवक्ता
राज्य/उत्तरवादी संख्या 1, 2 एवं 5 के लिए श्री यू.एन.एस.
देव, शासकीय अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 3 एवं 4 के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर,
अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 314/2008

याचिकाकर्तागण :

1. धर्मेन्द्र मेश्राम, आयु 34 वर्ष, पिता स्वर्गीय श्री हेमनाथ मेश्राम, शासकीय प्राथमिक शाला मरकानार, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड III के रूप में पदस्थ, निवासी अंतागढ़, तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)
2. अमोल कुमार, आयु 24 वर्ष, पिता श्री भागीरथी, शासकीय माध्यमिक शाला मौचपल्ली, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी वर्ग III के रूप में पदस्थ, निवासी ग्राम मौचपल्ली, तहसील-पखांजूर जिला उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)
3. कु. सहदायी नाग, आयु 27 वर्ष, पिता श्री बोतीराम नाग, शासकीय प्राथमिक शाला भिंगीधर, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड III के रूप में पदस्थ, निवासी ग्राम बोटीपारा, तहसील-पखांजूर, जिला





उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- :
1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डीकेएस भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
 2. कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
 4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-उत्तर बस्तर कांकेर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
 5. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

उपस्थिति

- :
- याचिकाकर्ता के लिए श्री जितेन्द्र नाथ नंदे, अधिवक्ता राज्य/उत्तरवादी संख्या 1, 2 एवं 5 के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता उत्तरवादी संख्या 3 एवं 4 के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर, अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 341/2008

याचिकाकर्ता

- :
1. विनोद कुमार माहौर, पिता स्व. श्री राजेंद्र प्रसाद माहौर, आयु लगभग 26 वर्ष, शिक्षा कर्मी वर्ग-2, माध्यमिक विद्यालय ओटेकासा (राजीव गांधी शिक्षा मिशन), जनपद पंचायत दुर्गवोंदल, विकासखंड



दुर्गवोंदल, जिला उत्तर बस्तर, जिला कांकेर (छ.ग.),
निवासी ग्राम भानपुर, पोस्ट एवं तहसील भानपुर,
जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्राम
विकास, मंत्रालय, डीकेएस भवन, रायपुर
2. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण, मंत्रालय, रायपुर।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर, उत्तर
बस्तर, कांकेर (छ.ग.)
4. कलेक्टर, कांकेर (छ.ग.)
5. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कांकेर (छ.ग.)

उपस्थिति

- : याचिकाकर्ता के लिए श्री अंबुज अग्रवाल, अधिवक्ता
राज्य/उत्तरवादी संख्या 1, 2, 4 एवं 5 के लिए श्री यू.एन.एस.
देव, शासकीय अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 3 के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर, अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 354/2008

याचिकाकर्ता

1. दीपक कुमार यादव, पिता श्री जैन सिंह यादव, आयु
लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम उडकुड़ा (लखनपुरी),
तहसील चारामा, जिला कांकेर (छग)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण



विकास विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर (छ.ग.)।

2. कलेक्टर, कांकेर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)
3. जिला पंचायत, कांकेर, द्वारा: मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
4. जिला शिक्षा अधिकारी, कांकेर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
6. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)



उपस्थिति

:

याचिकाकर्ता के लिए श्री पी.पी. साहू, अधिवक्ता

राज्य/उत्तरवादी संख्या 1, 2, 4 एवं 6 के लिए श्री यू.एन.एस.

देव, शासकीय अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 3 एवं 5 के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर,

अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 363/2008

याचिकाकर्ता

:

1. कु. ललिता सलाम, आयु लगभग 20 वर्ष, पिता श्री नारद राम निवासी ग्राम मैनखेड़ा, तह. चारामा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण



विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. कलेक्टर, कांकेर (छ.ग.)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर।
4. जिला पंचायत - द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
5. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)

उपस्थिति

: याचिकाकर्ता के लिए श्री राहुल झा, अधिवक्ता

राज्य/उत्तरवादी संख्या 1, 2 एवं 5 के लिए श्री यू.एन.एस.

देव, शासकीय अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 3 एवं 4 के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर, अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 364/2008

याचिकाकर्ता

- : 1. देव प्रसाद मंडावी, आयु लगभग 20 वर्ष, पिता श्री सामू राम, निवासी ग्राम अरौद कोटिला, तह. चारामा, जिला उत्तरी बस्तर, कांकेर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. कलेक्टर, कांकेर (छ.ग.)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत



कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर, कांकेर।

4. जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी-जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)।
5. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)

उपस्थिति : याचिकाकर्ता के लिए श्री राहुल झा, अधिवक्ता राज्य/उत्तरवादी संख्या 1, 2 एवं 5 के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता उत्तरवादी संख्या 3 एवं 4 के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर, अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 419/2008

याचिकाकर्ता : 1. श्रीमती गीता भुआर्य, पति बेलचंद भुआर्य, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी-ग्राम-सरखेड़ा पोस्ट-ओंधी, तहसील-मानपुर, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर (छ.ग.) के माध्यम से
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कोयलीबेड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)



उपस्थिति : याचिकाकर्ता के लिए श्री अनूप मजूमदार, अधिवक्ता
राज्य/उत्तरवादी संख्या 1 के लिए श्री यू.एन.एस. देव,
शासकीय अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 2 एवं 3 के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर,
अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 477/2008

याचिकाकर्तागण :

1. खेमराज साहू, पिता श्री देवलाल साहू, आयु लगभग 22 वर्ष, व्यवसाय सेवा, माध्यमिक विद्यालय -छोटेबेठिया में शिक्षा कर्मी ग्रेड III के रूप में पदस्थ, निवासी सरवंडी नरहरपुर, तहसील और जिला कांकेर (छ.ग.)
2. तीरथ राम यादव, पिता रोहिदास यादव, आयु लगभग 24 वर्ष, व्यवसाय-सेवा, प्राथमिक विद्यालय-पीवी 08 में शिक्षाकर्मी वर्ग III के रूप में पदस्थ, निवासी बरकई सरवंडी, तहसील और जिला-कांकेर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डीकेएस भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
2. कलेक्टर, कांकेर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)





-
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-उत्तर बस्तर कांकेर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
 5. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

उपस्थिति : याचिकाकर्ता के लिए श्री सुनील साहू, अधिवक्ता राज्य/उत्तरवादी संख्या 1, 2 एवं 5 के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता उत्तरवादी संख्या 3 एवं 4 के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर, अधिवक्ता



रिट याचिका (सेवा) क्र. 529/2008

1. संजय कुमार साहू, पिता श्री श्याम सुन्दर साहू, आयु लगभग 28 वर्ष, व्यवसाय-सेवा, निवासी बड़े टिम्बरी, पोस्ट सांकरा, तहसील व जिला महासमुंद (छ.ग.)
2. कु. सुंदरी साहू, पिता श्री छोटेलाल साहू, आयु लगभग 20 वर्ष, ग्राम-नयापारा, खुर्द, पोस्ट-पिथौरा, जिला महासमुंद (छ.ग.)
3. कु. रोहिणी चक्रधारी, पिता श्री मंशा राम चक्रधारी, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम फरौदा, पोस्ट - भुरकोनी, जिला महासमुंद (छ.ग.)

विरुद्ध

- उत्तरवादीगण** : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं समाज कल्याण, डी.के.एस. भवन, रायपुर, जिला-रायपुर



(छ.ग.)

2. संचालक, पंचायत, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)
3. कलेक्टर, महासमुंद, महासमुंद (छ.ग.) जिला -
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पिथौरा, जिला महासमुंद (छ.ग.)
5. जिला शिक्षा अधिकारी, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)

उपस्थिति

- : याचिकाकर्ता के लिए श्री अवध त्रिपाठी, अधिवक्ता
राज्य/उत्तरवादी संख्या 1, 2, 3 एवं 5 के लिए श्री यू.एन.एस.
देव, शासकीय अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 4 एवं 6 के लिए श्री पंकज श्रीवास्तव,
अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 533/2008

याचिकाकर्तागण

- : 1. कु. चारु विद्वाता द्विवेदी, पिता चन्द्रशेखर द्विवेदी, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम लहरौद पोस्ट पिथौरा, जिला महासमुंद (छ.ग.) -
2. कु. गायत्री सिन्हा, पिता प्रभु राम सिन्हा, आयु लगभग 24 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 1, रावनभाठापारा, पिथौरा, जिला महासमुंद (छ.ग.)
3. कु. भारती साहू, पिता चन्द्रशेखर साहू, आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी ग्राम अमलीडीह, पोस्ट-भीटीडीह, जिला



महासमुंद (छ.ग.)

4. कु. दमयंती साव, पिता चन्द्रशेखर साव, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम बरोली, पोस्ट बसना, जिला- महासमुन्द (छ.ग.)
5. तोष कुमार सिन्हा, पिता हंसाराम सिन्हा, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी ग्राम सरकंडा, पोस्ट महासमुंद (छ.ग.)
पिथौरा, जिला

सभी शासकीय सेवक हैं जो जनपद पंचायत, पिथौरा, जिला महासमुंद (छ.ग.) के स्कूलों में शिक्षाकर्मी वर्ग III के पद पर पदस्थ हैं।

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं समाज कल्याण, डी.के.एस. भवन, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)
2. संचालक, पंचायत, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) -
3. कलेक्टर, महासमुंद, महासमुंद (छ.ग.) जिला
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पिथौरा, जिला महासमुन्द (छ.ग.)
5. जिला शिक्षा अधिकारी, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)

उपस्थिति : याचिकाकर्तागण के लिए श्री अवध त्रिपाठी, अधिवक्ता



राज्य/उत्तरवादी संख्या 1, 2, 3 एवं 5 के लिए श्री यू.एन.एस.

देव, शासकीय अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 4 एवं 6 के लिए श्री पंकज श्रीवास्तव,

अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 558/2008

याचिकाकर्तागण

:

1. जितेंद्र नरेटी, आयु 21 वर्ष पिता श्री महादेव सिंह नरेटी, शास. प्राथमिक विद्यालय पिंडीटोला(संकुल-कोड़ेनार), जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड III के पद पर पदस्थ, निवासी ग्राम गट्टापल्ली, पोस्ट कोड़ेनार, तहसील पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर(छग)
2. संतोष कुमार पद्दा, आयु 22 वर्ष पिता श्री शंकु राम पद्दा, शासकीय प्राथमिक शाला पिंडिकाशा (संकुल-कोरेनार) जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड III के पद पर पदस्थ, निवासी ग्राम पदेंगा, पोस्ट पदेंगा, तहसील पखांजूर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
3. श्रीमती गोदावरी बेलसरिया, आयु 23 वर्ष, पिता श्री बाल कृष्ण बेलसरिया, शासकीय प्राथमिक शाला संगम जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड III के पद पर पदस्थ, निवासी ग्राम प्रतापपुर थाना पखांजूर, तहसील पखांजूर जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
4. संदीप मेश्राम आयु 24 वर्ष, पिता श्री बामन मेहसाराम शासकीय माध्यमिक शाला हेंकेर (संकुल हेंकेर) में





शिक्षाकर्मि ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ, पूर्व में माध्यमिक शाला छोटेबेटिया जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में पदस्थ, निवासी ग्राम मोहला जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

5. राजेश कुमार, आयु 25 वर्ष, पिता श्री बिराङ्गू, शासकीय प्राथमिक शाला रेंगावाही (संकुल गुंडाहुर), जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मि ग्रेड तीन के पद पर पदस्थ, निवासी मिजगांव मानपुर, जिला राजनांदगांव।
6. जीवन राम धावड़े, आयु 23 वर्ष, पिता श्री लखन धावड़े, शासकीय प्राथमिक विद्यालय कोहेबेड़ा, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मि ग्रेड III के पद पर पदस्थ, निवासी ग्राम कुंजाटोला पोस्ट मोहला जिला-राजनांदगांव।
7. विनोद कुमार देहारी, आयु 25 वर्ष, पिता श्री सोमनाथ देहारी, शासकीय प्राथमिक शाला डोंगरीपारा, चारगांव जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मि ग्रेड तीन के पद पर पदस्थ हैं, निवासी चारगांव, तहसील कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)।
8. हरेश्वर, आयु 20 वर्ष, पिता श्री लखन लाल, शासकीय प्राथमिक विद्यालय पी.वी. 53, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मि ग्रेड III के रूप में पदस्थ(पूर्व में मिडिल स्कूल गुंडाहुर में नियुक्त), निवासी मानपुर, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण



विकास विभाग, डीकेएस भवन, मंत्रालय, रायपुर
(छ.ग.)

2. कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर बस्तर कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
5. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)

उपस्थिति

: याचिकाकर्ता के लिए श्री जितेन्द्र नाथ नंदे, अधिवक्ता राज्य/उत्तरवादी संख्या 1, 2 एवं 5 के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता उत्तरवादी संख्या 3 एवं 4 के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर, अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 619/2008

याचिकाकर्तागण

1. मूल सिंह मंडावी, आयु 31 वर्ष, पिता श्री पंचराम मंडावी, शासकीय प्राथमिक शाला पी.वी. 15, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड IIIके पद पर पदस्थ, निवासी कांकेर जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
2. श्रीमती शहजादी बानो, आयु 24 वर्ष, पति मुन्नोवर, शासकीय प्राथमिक विद्यालय संतोला पखांजूर, जनपद



पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड III के रूप में पदस्थ, निवासी कांकेर जिला - उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डीकेएस भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
2. कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर बस्तर कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
5. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)

उपस्थिति

- : याचिकाकर्ता के लिए श्री जितेन्द्र नाथ नंदे, अधिवक्ता राज्य/उत्तरवादी संख्या 1, 2 एवं 5 के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता उत्तरवादी संख्या 3 एवं 4 के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर, अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 629/2008

याचिकाकर्तागण

1. श्रीमती शकुंतला मंडावी, पति श्री चैन सिंह मंडावी, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी कोयलीबेड़ा, तहसील





पखांजूर, जिला। कांकेर (छ.ग.)

वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय गुडाबेड़ा खास,
जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला कांकेर (छ.ग.) में
शिक्षा कर्मी ग्रेड III रूप में कार्यरत।

2. श्रीमती टोमिन बाई, पति श्री यतेंद्र कुमार साहू, आयु
लगभग 28 वर्ष, निवासी कोयलीबेड़ा, तहसील पखांजूर,
जिला कांकेर (छ.ग.)

वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय जीरमतराई, जनपद
पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला कांकेर (छ.ग.) में शिक्षाकर्मी ग्रेड
III कार्यरत।

3. श्रीमती धनय पोटाई, पति श्री दुरसाई, आयु लगभग
32 वर्ष, निवासी ग्राम तुरसानी, कोयलीबेड़ा, जिला
कांकेर (छ.ग.)

वर्तमान में मिडिल स्कूल केसेकोडी खास, जनपद
पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला कांकेर (छ.ग.) में शिक्षा कर्मी
ग्रेड III रूप में कार्यरत।

4. कु. नीतू मंडावी, पिता श्री नरेंद्र कुमार, आयु लगभग
24 वर्ष, निवासी कोयलीबेड़ा, जिला कांकेर (छ.ग.)

वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय वाला, जनपद पंचायत-
कोयलीबेड़ा, जिला कांकेर (छ.ग.) में शिक्षा कर्मी ग्रेड III, के
रूप में कार्यरत हैं।

5. श्रीमती कामनी राजपूत, पति श्री अरुण ठाकुर, आयु
लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम कोयलीबेड़ा, तहसील
पखांजूर, जिला कांकेर (छ.ग.).

वर्तमान में कन्या माध्यमिक विद्यालय कोयलीबेड़ा,





जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला कांकेर (छ.ग.) में शिक्षा कर्मी ग्रेड III के रूप में कार्यरत।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डीकेएस भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
2. कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
3. जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

उपस्थिति

- : याचिकाकरण के लिए श्री श्रवण अग्रवाल, अधिवक्ता राज्य/उत्तरवादी संख्या 1 एवं 2 के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता उत्तरवादी संख्या 3 एवं 4 के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर, अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 30/2008

याचिकाकर्तागण

1. कु. चंद्रिका ध्रुव, आयु लगभग 31 वर्ष, पिता श्री रजनू राम ध्रुव, व्यवसाय शिक्षा कर्मी ग्रेड-II, मिडिल स्कूल, नावदाबरी (आदिम जाति कल्याण विभाग), जनपद



पंचायत नरहरपुर, जिला कांकेर (छ.ग.)।

2. कु. भभीता कोडोपी, आयु लगभग 25 वर्ष, पिता रज्जीलाल कोडोपी, व्यवसाय शिक्षाकर्मि ग्रेड-II, मिडिल स्कूल, बाणसागर (राजीव गांधी शिक्षा मिशन), जनपद पंचायत नरहरपुर, जिला कांकेर (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, डीकेएस भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. आयुक्त, जनजातीय विकास, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर, उत्तर बस्तर कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
4. कलेक्टर, जिला कांकेर (छ.ग.)

उपस्थिति

1. याचिकाकर्ता के लिए श्री जितेन्द्र नाथ नंदे, अधिवक्ता राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 32/2008

याचिकाकर्तागण

1. पंकू राम ध्रुव, आयु लगभग 21 वर्ष, पिता सोमधर ध्रुव, निवासी पॉवरकेड़ा, थाना दुर्ग, कोंडल, जिला. कांकेर.
2. कु. ज्ञानेश्वरी, आयु लगभग 23 वर्ष, पिता आनंदराम ठाकुर, जाति हल्बा, निवासी ग्राम महुद, थाना एवं



तहसील चारामा, जिला कांकेर.

3. कु. रेणुका ध्रुव, आयु लगभग 21 वर्ष, पिता देवानंद ध्रुव, निवासी गांव और पोस्ट चिनूरी, थाना और तहसील चारामा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर.
4. कु. निरशा लोदिया, आयु लगभग 20 वर्ष, जाति हल्बा, निवासी ग्राम धनुगंडरा, पोस्ट करमोती, थाना व तहसील भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर.
5. पुनितराम कोरटिया, आयु लगभग 28 वर्ष, जाति हल्बा, पिता आनंदराम कोरटिया, निवासी ग्राम सिहारो, पोस्ट ताहुल, थाना व तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, डीकेएस भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
2. कलेक्टर, कांकेर
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर, कांकेर
4. जिला पंचायत, द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर

उपस्थिति

: याचिकाकर्ता के लिए श्री पराग कोटेचा, अधिवक्ता राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत कांकेर के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता



रिट याचिका (सेवा) क्र. 33/2008

याचिकाकर्तागण

:

1. दुर्गेश कुमार, आयु 27 वर्ष, पिता श्री चिंदु राम, शासकीय मिडिल स्कूल चारगांव, जनपद पंचायत कोयलीबेडा में शिक्षाकर्मी ग्रेड III के रूप में पदस्थ, निवासी ग्राम चारगांव, तहसील पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) ।
2. श्रीमती संध्या, आयु 25 वर्ष, पति श्री दुर्गेश कुमार, शासकीय माध्यमिक शाला, चरगापं, जनपद पंचायत कोयलीबेडा में शिक्षाकर्मी ग्रेड III के पद पर पदस्थ, निवासी ग्राम-चारगांव, तहसील पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)।
3. कु. सिखा सरकार, आयु 22 वर्ष, पिता श्री सुभाष सरकार, शासकीय प्राथमिक विद्यालय, पीवी 47 (संकुल गोंडाहुर), जनपद पंचायत कोयलीबेडा में शिक्षाकर्मी ग्रेड III के पद पर पदस्थ, निवासी सुभपल्ली, पखांजूर, तहसील पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)।
4. तरुण कुमार, आयु 19 वर्ष, पिता श्री भागीरथी, शासकीय प्राथमिक विद्यालय नेडगांव, ग्राम पंचायत जनपद पंचायत कोयलीबेडा में शिक्षाकर्मी ग्रेड III के पद पर पदस्थ, निवासी ग्राम नेडगांव, तहसील पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) ।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डीकेएस भवन, मंत्रालय, रायपुर





(छ.ग.)

2. कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर(छ.ग.)
5. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)

उपस्थिति

: याचिकाकर्ता के लिए श्री एस.एन. नंदे, अधिवक्ता

राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत कांकेर के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 35/2008

याचिकाकर्तागण

1. श्रीमती केशरी ठाकुर, आयु 21 वर्ष, पति श्री जीतेन्द्र कुमार ठाकुर, शासकीय प्राथमिक विद्यालय पाड़ेंगा (पखांजूर), जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड III के पद पर पदस्थ, निवासी ग्राम शिकारीटोला, पोस्ट कुसुकसा, तहसील बालोद जिला दुर्ग (छ.ग.)।
2. कु. हेमेश्वरी सेन, आयु 21 वर्ष, पिता श्री जीवन लाल सेन, शासकीय प्राथमिक विद्यालय नयापारा सेवर (बांदे), जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड III के पद पर पदस्थ, निवासी कच्चे दफाई कैंप नंबर





- 1, दल्लीराजहरा, तहसील बालोद जिला दुर्ग (छ.ग.)।
3. दिलीप कुमार ठाकुर, आयु 24 वर्ष, पिता श्री कल्याण ठाकुर, शासकीय प्राथमिक शाला पीवी 16 पखांजूर, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मि ग्रेड III के पद पर पदस्थ, निवासी ग्राम दुदाली पोस्ट मालीघोरी, तहसील डोंडी लोहारा, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
4. अश्वनी कुमार चुरेन्द्र आयु 22 वर्ष, पिता श्री लालू राम चुरेन्द्र, शिक्षाकर्मि ग्रेड तीन के पद पर पदस्थ।
5. संत कुमार ठाकुर, आयु 22 वर्ष, पिता श्री नंदराम ठाकुर, शासकीय प्राथमिक शाला पीवी 114(प्राथमिक शाला एरकाबुट्टा), जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मि ग्रेड III के पद पर पदस्थ, निवासी ग्राम धनगांव, पोस्ट और तहसील डोंडी लोहारा, जिला दुर्ग (छ.ग.)।



विरुद्ध

उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डीकेएस भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
1. कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर बस्तर कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
1. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)



उपस्थिति : याचिकाकर्ता के लिए श्री एस.एन. नंदे, अधिवक्ता,
राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं जिला
पंचायत कांकेर के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 42/2008

याचिकाकर्ता :

1. सदानंद नायक, पिता मियोहर सिंह नायक, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम पंडरीपानी, पोस्ट बम्हनी, थाना बसना, जिला महासमुंद (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
1. कलेक्टर, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पिथौरा, जिला महासमुंद (छ.ग.)।
1. जिला शिक्षा अधिकारी, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)।
1. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पिथौरा, जिला महासमुंद (छ.ग.)





-
1. संचालक पंचायत, छत्तीसगढ़, रायपुर, जिला रायपुर
(छ.ग.)।

उपस्थिति : याचिकाकर्ता के लिए श्री मनोजपे परांजपे, अधिवक्ता
राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पिथौरा, जिला
महासमुंद के लिए श्री पंकज अग्रवाल, अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 58/2008

याचिकाकर्तागण

1. अविनाश कुमार, आयु 26 वर्ष, पिता श्री छोटेलाल,
शासकीय माध्यमिक शाला चारगांव, पखांजूर, जनपद
पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड III के पद पर
पदस्थ, निवासी नयापारा, तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर
बस्तर कांकेर (छ.ग.)।
2. कु. गंगा मरकाम, आयु 26 वर्ष, पिता श्री शुबे सिंह
मरकाम, शासकीय प्राथमिक शाला बाजारपारा चारगांव,
जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड III के
पद पर पदस्थ, निवासी पोरंडी चारगांव (कोयलीबेड़ा)।
3. कैलाश कुमार वैद्य, आयु 24 वर्ष, पिता श्री राधेश्याम
वैद्य, शासकीय प्राथमिक शाला पीवी 65, पखांजूर,
जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड III के
पद पर पदस्थ, निवासी क्वार्टर नंबर एच-18, पखांजूर,
जिला उत्तर बस्तर।
4. टिकेश नाग, आयु 24 वर्ष, पिता श्री वीरेंद्र नाग,
शासकीय प्राथमिक शाला पीव्ही 123 पखांजूर, जनपद





पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड तीन के पद पर पदस्थ, निवासी कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)।

5. राजकुमारी तुलावी, आयु 25 वर्ष, पिता फागू राम तुलावी, शासकीय प्राथमिक विद्यालय पीव्ही 124, पखांजूर, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड तीन के पद पर पदस्थ, निवासी मोहला, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डीकेएस भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
1. कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर बस्तर कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
1. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)

उपस्थिति

:

याचिकाकर्ता के लिए श्री एस.एन. नंदे, अधिवक्ता राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत कांकेर के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता





रिट याचिका (सेवा) क्र. 77/2008

याचिकाकर्तागण

:

1. कु. चित्रा रेखा बसारा, आयु 19 वर्ष, पिता श्री विक्रम सिंह बेसरा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पखांजूर, जनपद पंचायत, कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड III के पद पर पदस्थ, निवासी हाई स्कूल कॉलोनी, पखांजूर (कोयलीबेड़ा) जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)।
2. कु अपर्णा मंडल, आयु 19 वर्ष, पिता श्री मनोरंजन मंडल, शासकीय प्राथमिक विद्यालय पीवी 39, ग्राम पंचायत इंद्रप्रस्थ, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड III के रूप में पदस्थ, निवासी पीवी 24, पोस्ट मिक्सफॉर्म, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)।
3. कु. जबरानी मंडल, आयु 35 वर्ष, पिता श्री नरेन मंडल, शासकीय प्राथमिक शाला पीवी 112 पखांजूर, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड III के रूप में पदस्थ, निवासी पीवी 41 पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
4. रोहित बेसरा, आयु 20 वर्ष, पिता श्री नवलू राम बेसरा, शासकीय प्राथमिक शाला पीव्ही 101, पखांजूर, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड III के रूप में पदस्थ, निवासी स्कूल कॉलोनी, पखांजूर (कोयलीबेड़ा), जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
5. कु. पुष्प लता नाग, आयु 23 वर्ष, पिता श्री राजा राम नाग, शासकीय माध्यमिक शाला संगम, जनपद





पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड तीन के पद पर पदस्थ, निवासी परतापुर, पखांजूर (कोयलीबेड़ा), जिला उत्तर बस्तर कांकेर।

6. कु. मंजूषा बघेल, आयु 22 वर्ष, पिता श्री सावंत बघेल, शासकीय प्राथमिक विद्यालय पीवी 43, पखांजूर, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में शिक्षाकर्मी ग्रेड तीन के पद पर पदस्थ, निवासी पीवी 116, पखांजूर (कोयलीबेड़ा), जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डीकेएस भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
1. कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर बस्तर कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
1. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)

उपस्थिति

:

याचिकाकर्ता के लिए श्री एस. एन. नंदे, अधिवक्ता राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत कांकेर के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता

**रिट याचिका (सेवा) क्र. 647/2008**

याचिकाकर्ता : 1. राजेंद्र कुमार जैन, आयु लगभग 32 वर्ष, पिता श्री निर्भया राम जैन, निवासी अलकेना पारा, कांकेर जिला कांकेर (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य शासन, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डीकेएस भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

1. कलेक्टर, कांकेर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर, जिला कांकेर (छ.ग.)

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला-कांकेर (छ.ग.)

1. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कोयलीबेड़ा, जिला कांकेर (छ.ग.)

उपस्थिति : याचिकाकर्ता के लिए श्री अजय श्रीवास्तव, अधिवक्ता, राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत कांकेर के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 754/2008

याचिकाकर्तागण : 1. सुरेश कुमार सेन, पिता स्वर्गीय नाथूराम सेन, आयु





लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम भोरिंग, थाना तुमगांव,
जिला महासमुंद (छ.ग.)।

2. श्रीराम साव, पिता श्री सोनसाय साव, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम सोनपुर, तहसील एवं जिला महासमुंद

दोनों शिक्षाकर्मी वर्ग तीन के पद पर जनपद पंचायत पिथौरा,
जिला महासमुंद (छ.ग.) में कार्यरत हैं।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं समाज कल्याण, डीकेएस भवन, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. संचालक, पंचायत, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
3. कलेक्टर, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पिथौरा, जिला महासमुंद (छ.ग.)।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)।

उपस्थिति

- याचिकाकर्ता के लिए श्री अवध त्रिपाठी, अधिवक्ता राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत, पिथौरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ के लिए श्री पंकज श्रीवास्तव, अधिवक्ता



रिट याचिका (सेवा) क्र. 757/2008

याचिकाकर्तागण

:

1. भोज कुमार नायक, पिता नरेश चंद्र, आयु लगभग 25 वर्ष, शासकीय प्राथमिक विद्यालय, महादेवपारा में शिक्षाकर्मि ग्रेड III के पद पर पदस्थ, निवासी ग्राम राजसेवैया खुण्ड, जिला महासमुंद (छ.ग.)।
2. कु. राजिम ठाकुर, पिता नंद लाल, आयु लगभग 26 वर्ष, शासकीय प्राथमिक विद्यालय कोचरा में शिक्षाकर्मि ग्रेड III के रूप में पदस्थ, निवासी ग्राम जिला महासमुंद (छ.ग.)।
3. तुलसी प्रसाद पटेल, पिता टेक लाल, आयु लगभग 35 वर्ष, शासकीय प्राथमिक शाला बालक छिबरा में शिक्षाकर्मि ग्रेड III के पद पर पदस्थ, निवासी ग्राम मुडीपार, जिला महासमुंद (छ.ग.)।
4. खेमशंकर पटेल, पिता आनंद कुमार पटेल, आयु लगभग 26 वर्ष, शासकीय प्राथमिक शाला विश्वासपुर (पंडरीपानी), जिला महासमुंद में शिक्षाकर्मि ग्रेड III के पद पर पदस्थ, निवासी ग्राम सपोस डबरा, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)।
5. गणेश राम जोशी, पिता गिरवर रणम, आयु लगभग 23 वर्ष, शासकीय प्राथमिक शाला रामपुर, जिला महासमुंद में शिक्षाकर्मि ग्रेड III के पद पर पदस्थ, निवासी ग्राम चरमोदिया, जिला धमतरी (छ.ग.)।
6. अशोक कुमार पटेल, पिता पीताम्बर, आयु लगभग 19 वर्ष, शासकीय माध्यमिक विद्यालय किशनपुर में





शिक्षाकर्मि ग्रेड III के पद पर पदस्थ, निवासी वार्ड
क्रमांक 10, पिथौरा, जिला महासमुंद (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- :
1. छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.) के माध्यम से।
 2. कलेक्टर, जिला महासमुंद (छ.ग.)।
 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पिथौरा, जिला महासमुंद (छ.ग.)।
 4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)।
 5. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड पिथौरा, जिला महासमुंद (छ.ग.)।

उपस्थिति

- :
- याचिकाकर्ता के लिए श्री एफ.एस. खरे, अधिवक्ता राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पिथौरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ के लिए श्री पंकज श्रीवास्तव, अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 771/2008

याचिकाकर्तागण

- :
1. अशोक कुमार पटेल, पिता श्री दिग्वी लाल पटेल, आयु लगभग 27 वर्ष, व्यवसाय सेवा, निवासी ग्राम जमहेर, तहसील व जिला महासमुंद (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- :
1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं समाज





-
- कल्याण, डीकेएस भवन, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. संचालक, पंचायत, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
 3. कलेक्टर, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)।
 4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पिथौरा, जिला महासमुंद (छ.ग.)।
 5. जिला शिक्षा अधिकारी, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)
 6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)।

उपस्थिति

- : याचिकाकर्ता के लिए श्री अवध त्रिपाठी, अधिवक्ता राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत और जिला पंचायत पिथौरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ के लिए श्री पंकज श्रीवास्तव, अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 795/2008

- याचिकाकर्ता** : 1. प्रकाश पंडा, पिता सुरेश पंडा, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी ग्राम उतेकेल, पोस्ट सांकरा, जिला महासमुंद (छ.ग.)।

विरुद्ध

- उत्तरवादीगण** : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं समाज कल्याण, डीकेएस भवन, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. संचालक, पंचायत, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)।



3. कलेक्टर, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पिथौरा, जिला महासमुंद (छ.ग.)।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)।

उपस्थिति : याचिकाकर्ता के लिए श्री राघवेंद्र प्रधान, अधिवक्ता राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत और जिला पंचायत पिथौरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ के लिए श्री पंकज श्रीवास्तव, अधिवक्ता



रिट याचिका (सेवा) क्र. 818/2008

याचिकाकर्ता : 1. तुलेश्वर साहू, पिता श्री खेदू राम साहू, आयु लगभग 26 वर्ष, शिक्षक शासकीय स्कूल, पी.वी. 54 ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला कांकेर (बस्तर) (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. कलेक्टर, कांकेर (छ.ग.)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला कांकेर(बस्तर) (छ.ग.)



उपस्थिति : याचिकाकर्ता के लिए श्री अजय श्रीवास्तव, अधिवक्ता राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कांकेर के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 914/2008

- याचिकाकर्तागण** :
1. समेलाल जाटवर, पिता नारायण जाटवर, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी बलोदी, पोस्ट कोसम कुंडा, जिला रायपुर (छ.ग.), व्यवसाय सेवा, साईं सरायपाली, तहसील पिथौरा, जिला महासमुंद (छ.ग.) में शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के पद पर कार्यरत।
 1. पुष्पा बरिहा, पिता दुर्योधन बरिहा, आयु लगभग 22 वर्ष, व्यवसाय सेवा, नवीन प्राथमिक विद्यालय पिथौरा, ग्राम राजा कटेला, शेगुनदीप, पोस्ट सांकटा, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.) में शिक्षाकर्मी वर्ग तीन के पद पर कार्यरत।
 1. कु. सोनम पटेल, पिता श्री सरन लाल पटेल, आयु लगभग 19 वर्ष, व्यवसाय सेवा, प्राथमिक विद्यालय कालीसजपुर, विकासखण्ड पिथौरा, जनपद पंचायत, पिथौरा, जिला महासमुंद (छ.ग.) में शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के पद पर कार्यरत हैं।

विरुद्ध

- उत्तरवादीगण** :
1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं समाज





-
- कल्याण, डीकेएस भवन, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. संचालक, पंचायत, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
 3. कलेक्टर, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)।
 4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पिथौरा, जिला महासमुंद (छ.ग.)।
 5. जिला शिक्षा अधिकारी, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)।

उपस्थिति

: याचिकाकर्ता के लिए श्री अवध त्रिपाठी, अधिवक्ता राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत और जिला पंचायत पिथौरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ के लिए श्री पंकज श्रीवास्तव, अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 925/2008

याचिकाकर्ता

: 1. उदेराम बेलोधिया, पिता असाडूराम, बेलोधिया, आयु लगभग 32 वर्ष, शिक्षाकर्मी ग्रेड III, निवासी पोटगांव, कोरार, जिला कांकेर (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

: 1. छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।



2. कलेक्टर, कांकेर, जिला कांकेर (छत्तीसगढ़)।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर (छत्तीसगढ़)।
4. जिला पंचायत, द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर (छत्तीसगढ़)।
5. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)।

उपस्थिति : याचिकाकर्ता के लिए श्री शिवेंद्रु पंड्या, अधिवक्ता राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत कांकेर के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता



रिट याचिका (सेवा) क्र. 926/2008

याचिकाकर्ता : 1. कु. सोहद्रा नेताम, पिता गजानंद नेताम, आयु लगभग 27 वर्ष, शिक्षाकर्मी ग्रेड III, निवासी पीवी 43, जिला कांकेर, भानुप्रतापपुर (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

2. कलेक्टर, कांकेर, जिला कांकेर (छत्तीसगढ़)।

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत



कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर (छत्तीसगढ़)।

4. जिला पंचायत, द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर (छत्तीसगढ़)।
5. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)।

उपस्थिति : याचिकाकर्ता के लिए श्री शिवेंदु पंड्या, अधिवक्ता राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत कांकेर के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता



रिट याचिका (सेवा) क्र. 628/2008

1. विवेक विश्वास, पिता श्री खंगेंद्र नाथ विश्वास, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी पीवी 103, पोस्ट कुरेनार, जिला कांकेर (छ.ग.)।
वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय, पीवी-98+99, जनपद पंचायत, कोयलीबेड़ा, जिला कांकेर (छ.ग.) में शिक्षा कर्मी ग्रेड III के रूप में कार्यरत।
2. सियाराम ध्रुव, पिता पुसऊराम, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट मुजगहन, जिला धमतरी (छ.ग.)।
वर्तमान में मिडिल स्कूल, हरेनगढ़, जनपद पंचायत, कोयलीबेड़ा, जिला कांकेर (छ.ग.) में शिक्षा कर्मी ग्रेड III के रूप में कार्यरत।
3. श्रीमती बिंदा दरौ, पति श्री रूप सिंह दरौ, आयु लगभग



32 वर्ष, निवासी ग्राम तिरकाडांड, तहसील चारामा,
जिला कांकेर (छ.ग.)।

वर्तमान में मिडिल स्कूल कोयलीबेड़ा, जनपद पंचायत
कोयलीबेड़ा, जिला कांकेर (छ.ग.) में शिक्षा कर्मी ग्रेड
III के रूप में कार्यरत।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण
विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
2. कलेक्टर, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)।
3. जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, द्वारा मुख्य कार्यपालन
अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर
बस्तर, कांकेर (छ.ग.)।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,
कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)।

उपस्थिति

- : याचिकाकर्ता के लिए श्री श्रवण अग्रवाल, अधिवक्ता
राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कांकेर के लिए
श्री वाय.एस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा) क्र. 986/2008

याचिकाकर्तागण

1. समीर अंधारी, आयु लगभग 24 वर्ष, पिता धनंजय
अंधारी, निवासी कुआंगोड़ी, तह बालोद जिला दुर्ग
(छ.ग.)



**विरुद्ध**

- उत्तरवादीगण** :
1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)।
 2. कलेक्टर, कांकेर।
 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर।
 4. जिला पंचायत, द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर।

- उपस्थिति** :
- याचिकाकर्ता के लिए श्री पराग कोटेचा, अधिवक्ता राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत कांकेर के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता

संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत रिट याचिका

(एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश)

निर्णय एवं आदेश

(दिनांक 14 मार्च, 2008 को पारित)

1. याचिकाओं के इस समूह में याचिकाकर्ता सुनवाई का अवसर दिए बिना संबंधित जनपद पंचायतों के तहत शिक्षा कर्मी ग्रेड-II और ग्रेड-III के पदों पर अपने नियुक्ति आदेशों को रद्द करने से व्यथित हैं।
2. याचिकाओं के इस समूह में अंतर्वलित विधिक प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियां, जिन्हें शिक्षाकर्मी ग्रेड-II और ग्रेड-III के पदों पर उचित चयन के बाद नियुक्त किया गया है, सुनवाई का अवसर दिए बिना, कुछ उम्मीदवारों द्वारा कथित झूठे और कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर रद्द की जा



सकती हैं? इसलिए, इन प्रकरणों का विनिश्चय इस समान आदेश द्वारा किया जाता है।

3. इन सभी प्रकरणों में निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं का चयन उचित चयन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा कर्मी ग्रेड-II और ग्रेड-III के पदों पर नियुक्ति के लिए किया गया था और उन्हें तदनुसार नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने अपने-अपने स्थानों पर पदभार ग्रहण कर लिया। इसके बाद जनपद पंचायत - बरमकेला, जिला रायगढ़, जनपद पंचायत - कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, जनपद पंचायत - पिथौरा, जिला महासमुंद, जनपद पंचायत - बैकुंठपुर, जिला - कोरिया और जिला पंचायत, कांकेर के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने क्रमशः अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 13.8.2007, 27.11.2007 (24.11.2007), 4.8.2007 (संचालक, पंचायत द्वारा आदेश दिनांक 20.11.2007 एवं कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 28-30.7.2007), 21.11.2007 (कारण बताओ नोटिस दिनांक 9.11.2007), 14.9.2007 एवं 28.11.2007 को याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति रद्द कर दिया।
4. व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने उक्त आक्षेपित आदेशों को रद्द करने तथा संबंधित पदों और स्थानों पर उनकी सेवाएं जारी रखने का अनुतोष प्रदान करने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए वर्तमान याचिकाएं दायर की हैं।
5. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि एक बार याचिकाकर्ताओं को उचित चयन प्रक्रिया का पालन करके और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद नियुक्त किया गया है, तो उनकी नियुक्तियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना रद्द नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को कम से कम उन दस्तावेजों, जिन्हें अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के बाद झूठा और कूटरचित होना पाया था, की वास्तविकता या प्रामाणिकता को स्थापित करने के लिए सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था।



6. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा संबंधित जनपद पंचायतों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क प्रस्तुत किया कि निश्चित रूप से याचिकाकर्ताओं को शिक्षाकर्मि ग्रेड-II और ग्रेड-III के पदों पर उनकी नियुक्तियां रद्द करने से पहले अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया था। तथापि, चूंकि पूरी नियुक्तियाँ रद्द कर दी गई हैं, इसलिए व्यक्तिगत नोटिस जारी करना और शिक्षा कर्मियों को अलग से सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक नहीं था।
7. उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को रद्द करने के बाद पूरी चयन सूचियों की जांच की गई है और वे सभी प्रकरण, जिनमें दस्तावेज वास्तविक पाए गए थे, हेतु दूसरी चयन सूची तैयार की गई है और उनकी नियुक्तियां जारी रखी गई हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि अधिकांश याचिकाकर्ताओं को दूसरी चयन सूची में रखा गया है और उनकी नियुक्तियां उनके पहले के नियुक्ति आदेशों के अनुसार जारी हैं।
8. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं के परस्पर विरोधी तर्कों को सुना है और उनसे संबद्ध अभिवचनों और दस्तावेजों का अध्ययन किया है। यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को उचित चयन प्रक्रिया के अनुसार और उनके दस्तावेजों के सत्यापन के बाद नियुक्त किया गया था। इसके बाद, यह पाया गया कि कुछ उम्मीदवारों/याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल किए गए कुछ दस्तावेज वास्तविक नहीं थे, इसलिए, संपूर्ण नियुक्ति आदेश, जो उचित चयन प्रक्रिया के अनुसार जारी किए गए थे, रद्द कर दिए गए।
9. **पी. राधाकृष्ण नायडू और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार¹** के प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय जिस पर याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा अवलंब लिया गया है, वर्तमान मामलों के तथ्यों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उक्त प्रकरण अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त व्यक्तियों की पुनर्नियुक्ति से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, **ए.एन. पाठक एवं अन्य बनाम सचिव, रक्षा मंत्रालय**

¹ एआईआर 1977 एससी 854



एवं अन्य² का प्रकरण भी वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर प्रयोज्य नहीं है। इसी तरह, कृष्ण यादव और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य³ के प्रकरण का निर्णय भी वर्तमान मामलों के तथ्यों के लिए किसी प्रकार से सहायक नहीं है।

10. केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बनाम दिलबाग सिंह और अन्य⁴ के प्रकरण के निर्णय, जिसका याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा अवलंब लिया गया था, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:-

"11. यदि हम उपरोक्त कथन को ध्यान में रखते हैं कि कोई उम्मीदवार जो किसी सिविल पद पर नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवार के रूप में चयन सूची में स्थान पाता है, ऐसी नियुक्ति के लिए उसे हकदार बनाने वाले किसी विशिष्ट नियम के अभाव में ऐसे पद पर नियुक्त होने का अलोप्य अधिकार प्राप्त नहीं करता है और वह अपनी गैर-नियुक्ति से केवल तभी व्यथित हो सकता है जब प्रशासन या तो मनमाने ढंग से या बिना किसी वास्तविक कारण के ऐसा करता है, तो यह एक आवश्यक संगत के रूप में इस प्रकार है कि ऐसा अभ्यर्थी, भले ही उसे अभ्यर्थियों की चयन सूची में अपना नाम आने के कारण ऐसे पदों पर नियुक्ति की वैध उम्मीद हो, वह ऐसी चयन सूची को वास्तविक और वैध कारणों से रद्द किए जाने से पहले सुनवाई के अधिकार का दावा नहीं कर सकता, न कि मनमाने ढंग से।

11. इंदरप्रीत सिंह काहलों और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य⁵ के प्रकरण के निर्णय, जिसका याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने अवलंब लिया था, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था: -

² एआईआर 1987 एससी 716

³ एआईआर 1994 एससी 2166

⁴ एआईआर 1993 एससी 796

⁵ एआईआर 2006 एससी 2571



"41. यदि कुछ वर्षों की सेवा करने वाले नियुक्त व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त कर दी जातीं, तो राज्य के लिए तीन सिद्धांतों का अनुपालन अनिवार्य था, अर्थात्, (1) एकत्रित सामग्री की पर्याप्तता के संबंध में संतुष्टि स्थापित करना ताकि राज्य इस निष्कर्ष पर पहुंच सके कि चयन प्रक्रिया दूषित थी; (2) यह प्रश्न निर्धारित करना कि की गई अवैधताएं मामले की जड़ तक जाती हैं जो संपूर्ण चयन प्रक्रिया को दूषित करती हैं। इस तरह की संतुष्टि और सामग्री की पर्याप्तता को निष्पक्ष और पारदर्शी रीती से गहन अन्वेषण के कारण एकत्र करने की आवश्यकता थी; (3) क्या पर्याप्त सामग्री मौजूद होने से राज्य को यह समाधान हो पाया कि अधिकांश अधिकारी कपट में भागीदार हैं या प्रणाली स्वयं भ्रष्ट थी।"

"51. उन प्रकरणों में भी दोषपूर्ण प्रकरणों को गैर-दोषपूर्ण प्रकरणों से पृथक कर दिया गया था। केवल इस प्रकार, यदि घटना असंभव या अत्यधिक अनधिसम्भाव्य पाई जाती है, तो सामूहिक रूप से समाप्ति के आदेश जारी किए जा सकते थे।"

54. अब यह सुस्थापित हो गया है कि कोई निर्णय इस बात का प्रमाण है कि इससे क्या विनिश्चय होता है, न कि इस बात का कि उससे तार्किक रूप से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यह भी सुस्थापित है कि किसी प्रकरण का मूल्यांकन उसमें विद्यमान तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। (देखें पी.एस. सथप्पन (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि विरुद्ध आंध्रा बैंक लिमिटेड एवं अन्य {(2004) 11 एससीसी 672}, एम.पी. गोपालकृष्णन नायर बनाम केरल राज्य, (2005) 11 एससीसी 45





और हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक बनाम नीलम,
(2005) 5 एससीसी 91।”

“128. निस्संदेह, चयन प्रक्रिया में, पंजाब लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष आर.एस. सिद्धू के इशारे पर हेरफेर और अनियमितताएं हुई हैं। प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, मेरी सुविचारित अभिमत में, उच्च न्यायालय को दोषपूर्ण अभ्यर्थियों को गैर - दोषपूर्ण अभ्यर्थियों से अलग करने का गंभीर प्रयास करना चाहिए था। यद्यपि यह कार्य कठिन अवश्य था, परन्तु किसी भी दृष्टि से यह असंभव भी नहीं था।”

“129. इस प्रकरण के विशिष्ट तथ्य जिन पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है, वे यह हैं कि कुछ उम्मीदवारों ने लगभग तीन साल तक काम किया है और उनकी सेवाओं को केवल दाण्डिक अन्वेषण, जो प्रारंभिक चरण में थी, के आधार पर समाप्त किया गया था। चयन रद्द होने के परिणामस्वरूप उनकी सेवाएं समाप्त होने से न केवल उनके हितों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अपितु उनका पूरा भावी कैरियर बर्बाद हो जाएगा। ”

12. मोहम्मद सरताज एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य⁶ के प्रकरण में, जिसका उत्तरवादियों के अधिवक्ता ने अवलंब लिया था, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 18 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था: -

“18. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम मंसूर अली खान के प्रकरण में इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया था कि क्या

⁶ (2006) 2 एससीसी 315



प्रकरण के तथ्यों के आधार पर कर्मचारी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अवलंब ले सकता है और क्या यह एक ऐसा प्रकरण है जहां नोटिस दिए जाने पर भी परिणाम भिन्न नहीं होता और क्या यह कहा जा सकता है कि उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा था, अगर स्वीकार किए गए या सिद्ध तथ्यों पर अवसर देने से कोई अंतर नहीं आता। न्यायालय ने एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्णयों, एस.एल.कपूर मामले में अधिकथित अपवादों और के.एल.त्रिपाठी बनाम भारतीय स्टेट बैंक मामले का संदर्भ दिया, जिनमें यह अधिकथित किया गया है कि केवल प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन को ही नहीं, अपितु वास्तविक पूर्वाग्रह (नोटिस जारी न करने के अलावा) को भी साबित करना होगा। न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम एस.के.शर्मा और राजेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य के प्रकरणों के निर्णयों पर भी भरोसा किया है, जिनमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि शिकायतकर्ता के प्रति कुछ वास्तविक पूर्वाग्रह अवश्य रहा होगा। प्राकृतिक न्याय का केवल तकनीकी अतिलंघन जैसी कोई चीज नहीं है। न्यायालय ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है और इसी परिप्रेक्ष्य में कर्मचारी के प्रकरण की जांच की है। विवेका नंद सेठी बनाम चेयरमैन, जे एंड के बैंक लिमिटेड मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाना आवश्यक है। इसे किसी अनम्य सूत्र में नहीं रखा जा सकता है। इसे प्रकरण के प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ के बिना शून्य में लागू नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, अतिसामान्य सिद्धांत है, यह कोई अनियंत्रित घोड़ा नहीं है। जब तथ्य स्वीकार कर लिए जाएं, तो जांच महज एक





औपचारिकता होगी। यहां तक कि विबंध का सिद्धांत भी प्रयोज्य होगा। हाल ही में यूपी बनाम नीरज अवस्थी राज्य के मामले में दिए गए एक अन्य निर्णय में इस तर्क पर विचार करते हुए कि कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की उपेक्षा की गई थी और इसलिए कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने का आदेश विधिक दृष्टि से गलत था, इस न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और उन परिस्थितियों और सीमा पर विचार किया है जिनमें वे लागू होते हैं। इस न्यायालय ने नीरज अवस्थी प्रकरण में पाया है कि यदि कर्मचारों की सेवाएं यू. पी. औद्योगिक विवाद अधिनियम द्वारा शासित हैं, तो वे उस कानून के अंतर्गत संरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद नियमों के नियम 42 और 43 में उपबंधित किया गया है कि किसी भी छंटनी को लागू करने से पहले संबंधित कर्मचारी एक महीने के नोटिस या उसके बदले में एक महीने के वेतन और प्रतिकर के रूप में सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के हकदार होंगे। यदि छंटनी औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत की जानी है तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन का प्रश्न ही नहीं उठता। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत तभी लागू होंगे जब कुछ व्यक्तियों की सेवाएं दंडात्मक उपाय के माध्यम से समाप्त कर दी जाएं या इस प्रकार उन पर कलंक लगा दिया जाए। इस सिद्धांत को लागू करने पर यह सुस्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थीगण की सेवाओं को समाप्त करना एक दंडात्मक उपाय के रूप में नहीं था, अपितु उन्हें इस कारण से हटाया गया था कि वे योग्य नहीं थे और उनके पास नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता नहीं थी।





13. अशोक कुमार सोनकर बनाम भारत संघ एवं अन्य⁷, जिसका उत्तरवादीगण के अधिवक्ता ने अवलंब लिया था, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था: -

"26. इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन किया जाना आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि ऑडी अल्टरम पार्टम (दूसरे पक्ष को भी सुनो) प्राकृतिक न्याय के मूल स्तंभों में से एक है जिसका अर्थ है कि किसी को भी बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। तथापि, जहां तक संभव हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। सामान्यतः इस प्रकृति के मामले में इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। किसी विशेष स्थिति में आगंतुक कर्मचारी को नोटिस जारी कर सकता है, जो पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश से प्रभावित होगा। उसकी मौखिक सुनवाई नहीं की जा सकती है, परंतु उसे लिखित रूप में अपना पक्ष रखने की अनुमति दी जा सकती है।"

"27. तथापि, यह भी सुस्थापित है कि इसे किसी अनम्य सूत्र में नहीं रखा जा सकता है। यह किसी दिए गए प्रकरण में तब तक लागू नहीं किया जा सकता है जब तक कि कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखाया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि यह एक निरर्थक प्रक्रिया होगी।"

"28. न्यायालय व्यर्थ की औपचारिकता के अनुपालन पर जोर नहीं देता। वह ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं करेगा जहां परिणाम मौजूदा तथ्यात्मक स्थिति या विधिक परिणामों के संदर्भ में समान रहेगा। इसके अलावा इस प्रकरण में, अपीलार्थी का चयन अवैध था। वह

⁷ (2007) 4 एससीसी 54



कट-ऑफ तिथि पर अर्ह नहीं था। नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए अपात्र होने के कारण, उसे सुनवाई का अवसर देना एक व्यर्थ की प्रक्रिया होती।

14. **श्रवण कुमार झा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य⁸** के प्रकरण, जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना रद्द कर दी गई थी, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवधारित किया था:-

"इन सभी प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक नहीं है। इस प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा विचार है कि अपीलार्थियों को उनकी नियुक्तियों को रद्द करने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। स्वीकृत रूप से, उन्हें ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया था। यह सुस्थापित है कि प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन किए बिना, अपीलार्थीगण के प्रति क्षतिकारक कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **डी.के.यादव बनाम जे.एम.ए. इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य⁹** के मामले में सुनवाई के अवसर की अवधारणा पर विचार करते हुए निम्नलिखित निर्धारित किया था:-

" प्रत्येक मामले में जिस मुख्य बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए, वह यह है कि क्या संबंधित व्यक्ति को अपना प्रकरण पेश करने का युक्तियुक्त अवसर मिलना चाहिए और प्राधिकारी को निष्पक्ष, न्यायसंगत, यथोचित और निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। दूसरे शब्दों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुप्रयोग कि किसी भी व्यक्ति का पक्ष सुने बिना उसे दण्ड नहीं दिया जाना

⁸ एआईआर 1991 एससी 310

⁹ (1993) 3 S.C.C. 259)



चाहिए, का उद्देश्य प्राधिकारी को मनमाने ढंग से कार्य करने से रोकना है, जिससे संबंधित व्यक्ति के अधिकार प्रभावित होते हैं। यह विधि का एक मौलिक नियम है कि किसी व्यक्ति को मामले की जानकारी दिए बिना तथा उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए जो उसके अधिकारों को प्रभावित करे। सिविल परिणामों से संबंधित आदेश प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। इसलिए, निष्पक्ष कार्यवाही के लिए यह आवश्यक है कि अपनाई गई प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित हो। शक्ति के प्रयोग की रीती और प्रभावित व्यक्ति के अधिकारों पर इसका प्रभाव प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा।"

16. बसुदेव तिवारी बनाम सिडो कान्हू विश्वविद्यालय और अन्य¹⁰ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त सिद्धांत की पुष्टि की गई है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:-

"विधि में यह स्थापित है कि मनमानी न करना अनुच्छेद 14 का अनिवार्य पहलू है, जो अनुच्छेद 14 द्वारा शासित राज्य की कार्यवाही के सम्पूर्ण क्षेत्र को आगे बढ़ाता है। यह एक और परिणाम के रूप में स्थापित किया गया है कि प्राकृतिक न्याय का वैकल्पिक पहलू भी अनुच्छेद 14 की आवश्यकता है, क्योंकि प्राकृतिक न्याय मनमानेपन का विरोधी है। लोक नियोजन के क्षेत्र में, यह सुस्थापित है कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध नियोक्ता द्वारा की गई कोई भी कार्यवाही निष्पक्ष, न्यायसंगत और युक्तियुक्त होनी चाहिए जो निष्पक्ष व्यवहार के घटक हैं। किसी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त

¹⁰ एआईआर 1998 एससी 3261



करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करना निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित व्यवहार के विपरीत है।"

17. इसके अलावा, केनरा बैंक और अन्य बनाम देबाशीष दास और अन्य¹¹ के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकित किया था:-

"पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत वह है जिसे आमतौर पर ऑडी अल्टरम पार्टेम(दूसरे पक्ष को भी सुनो) नियम के रूप में जाना जाता है। यह कहता है कि किसी भी पक्ष को सुने बिना निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए। सूचना देना, इस सिद्धांत का पहला अंग है। यह सटीक और स्पष्ट होना चाहिए। उसे पक्षकार को उस मामले के बारे में स्पष्ट रूप से अवगत कराना चाहिए जिस पर सुनवाई होनी है। इस प्रयोजन के लिए दिया गया समय पर्याप्त होना चाहिए ताकि वह अपना पक्ष रख सके। इस प्रकार की सूचना और उचित अवसर के अभाव में पारित आदेश पूर्णतः अमान्य हो जाता है। इस प्रकार, यह आवश्यक है कि किसी पक्षकार के विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित करने से पहले उसे मामले की सूचना दी जाए। आखिरकार यह निष्पक्षता का एक स्वीकृत नियम है और प्राकृतिक न्याय के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। आखिरकार यह निष्पक्ष प्रक्रिया का एक स्वीकृत नियम है। समय के साथ यह अवधारणा महत्वपूर्ण हो गई है तथा कई रूपों में उपलब्ध है।"

18. माननीय उच्चतम न्यायालय ने विवेक नंद सेठी बनाम अध्यक्ष, जे एंड के बैंक लिमिटेड और अन्य¹² के मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था: -

¹¹ {(2003) 4 एससीसी 557}

¹² (2005) 5 एससीसी 337



"22. प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, यह एक अतिसामान्य सिद्धांत है, कोई अनियंत्रित घोड़ा नहीं है। जब तथ्य स्वीकार कर लिए जाएं तो जांच महज एक औपचारिकता होगी। यहां तक कि विबंध का सिद्धांत भी लागू होगा। (गुरजीवन गरेवाल (डॉ.) बनाम डॉ. सुमित्रा दास देखें) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन तथ्य और स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाना अपेक्षित है। इसे एक अनम्य सूत्र में नहीं रखा जा सकता है। इसे प्रकरण के प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ के बिना शून्य में लागू नहीं किया जा सकता है। पंजाब राज्य बनाम जागीर सिंह और कर्नाटक एसआरटीसी बनाम एसजी कोट्टुरप्पा का निर्णय देखें)"

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मणिपुर राज्य एवं अन्य बनाम वाई. टोकन**

सिंह एवं अन्य¹³ के प्रकरण में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:-

"22. इसलिए, हमारे अभिमत में, उत्तरवादीगण इन पदों पर बने रहने के हकदार नहीं थे। ऐसे प्रकृति वाले मामले में, जहां तथ्य स्वीकार कर लिए गए हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन अपेक्षित नहीं है, विशेष रूप से तब जब इसका परिणाम निरर्थक हो। यह सत्य है कि जहां नियुक्तियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई हों या कम से कम उस संबंध में कुछ कदम उठाए गए हों, वहां मुरुगय्या उदयार मामले में इस न्यायालय के निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।

20. यह सुस्थापित है कि प्राकृतिक न्याय के नियमों का उद्देश्य केवल न्याय प्रदान करना नहीं है, अपितु न्याय असफलता को रोकना है और प्राकृतिक न्याय के



सिद्धांत प्रशासनिक आदेश पर भी लागू होते हैं, यदि ऐसा आदेश किसी नागरिक के अधिकार को प्रभावित करता है।

21. मामलों के तथ्यों पर विधि के सुस्थापित सिद्धांत को लागू करते हुए, एक बात समान है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत अनियंत्रित घोड़ा नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में प्राप्त तथ्यों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनका पालन किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, उन मामलों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अपेक्षित नहीं हो सकता जहां तथ्य स्वीकार कर लिए गए हों। दूसरा यह कि बड़े पैमाने पर की गई अनियमितताओं के कारण चयन को रद्द करने या सामूहिक रूप से रद्द करने की स्थिति में सुनवाई का अवसर देना व्यावहारिक रूप से असंभव या अत्यधिक अनधिसम्भाव्य है। तीसरा, सुनवाई का अवसर देने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

22. वर्तमान सभी प्रकरण चयन प्रक्रिया को रद्द के प्रकरण नहीं हैं, चयन प्रक्रिया को सामूहिक नकल या सामूहिक अनियमितताओं सहित किसी भी कारण से दोषपूर्ण नहीं पाया गया है। वर्तमान मामले वे हैं, जिनमें कुछ तथ्यों का पता चलने पर कि कुछ उम्मीदवारों ने नियुक्ति प्राप्त करने के लिए झूठे और कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, उनके नियुक्ति आदेश प्रभावी होने के बाद रद्द कर दिए गए थे।

23. वर्तमान मामलों के तथ्यों पर सुस्थापित विधिक सिद्धांतों को लागू करते हुए, उत्तरवादीगण/अधिकारियों ने पहले से ही किये गए चयनों के आधार पर दूसरी चयन सूची तैयार कर ली है। जांच के बाद, अधिकांश उम्मीदवारों को दूसरी सूची में जगह मिली और इस प्रकार, नियुक्तियां जारी हैं। कुछ अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए संदिग्ध दस्तावेजों के कारण जांच के बाद दूसरी सूची में स्थान नहीं मिल सका। इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि जिन उम्मीदवारों को दूसरी चयन सूची में जगह नहीं मिली है, उन्हें उनकी पहले की गई नियुक्तियों को रद्द करने से पहले पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की वास्तविकता, सत्यता स्थापित करने के लिए सुनवाई का अवसर दिया जाए।



24. उन याचिकाकर्ताओं के संबंध में, जिनका चयन द्वितीय चयन सूची में नहीं हुआ है, आक्षेपित आदेश तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि ऊपर उल्लिखित निर्देश का अनुपालन नहीं कर लिया जाता।
25. विधि के सुस्थापित सिद्धांतों और ऊपर उल्लिखित कारणों के आलोक में, याचिकाओं को उपर्युक्त सीमा तक स्वीकार किया जाता है। वाद - व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश



अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Ratna Sahu, Advocate